कोणार्क

अंक सत्ताईस

जीएसटी, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क कार्यालय, भुवनेश्वर जोन, ओड़िशा

हिन्दी पखवाड़ा -2022 समारोह

जीएसटी, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, भुवनेश्वर जोन में 14.9.2022 से 30.9.2022 तक हिन्दी पखवाड़ा, 2022 मनाया गया और इस दौरान 23.9.2022 को हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।
मंचासीन मुख्य आयुक्त श्री बी .के. कर तथा प्रधान आयुक्त श्री पी. के. बेहेरा सहित आमंत्रित कवि।

श्री बी .के. कर, मुख्य आयुक्त द्वारा
कवि श्री राम किशोर शर्मा को उत्तरीय देकर
सम्मानित किया गया।

श्री पी. के. बेहेरा, प्रधान आयुक्त द्वारा
कवि श्री किशन खण्डेलवाल को उत्तरीय देकर
सम्मानित किया गया।

कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हास्य कवि सम्मेलन का भरपूर आनंद उठाया।

सरस्वती वंदना

या कुंदेंदु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता ।
या वीणा वर दण्डमंडितकरा, या श्वेतपद्मासना ॥
या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता ।
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा ॥
शुक्लां ब्रह्मविचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं
वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापाहां ।
हस्ते स्फाटिक मालीकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां
वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदां ॥
सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः ।
वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थानेभ्यः एव च ।।
सरस्वती महाभागे विद्ये कमाल लोचने।
विद्यारूपी विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते ।।

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

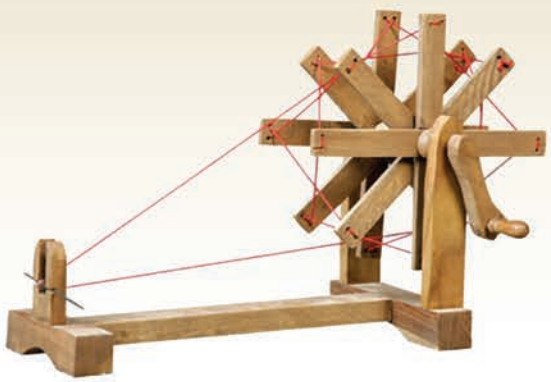

स्वच्छ भारत अभियान

कोणार्क

अंक-27 वर्ष-2022

मुख्य संरक्षक

श्री बिजय कुमार कर
मुख्य आयुक्त, भुवनेश्वर जोन

संरक्षक

श्री प्रकाश कुमार बेहेरा
प्रधान आयुक्त
जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भुवनेश्वर

प्रबंध संपादक

श्री राजेन्द्र सिंह
प्रधान आयुक्त
जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, राउरकेला

श्री अरविंदर सिंह रंगा
आयुक्त (अपील)
भुवनेश्वर जोन

संपादक

श्री देव प्रकाश
सहायक निदेशक (राजभाषा)

संपादन सहयोग

श्रीमती नमिता कर
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

प्रकाशक

जीएसटी, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क कार्यालय, भुवनेश्वर जोन

इस पत्रिका में व्यक्त विचार रचनाकारों के निजी विचार हैं ।
अतः पत्रिका में व्यक्त विचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है ।

- संपादक

आवरण पृष्ठ – स्वतंत्रता दिवस समारोह, 2022 को कार्यालय परिसर में लहराता तिरंगा

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	रचना	रचनाकार	पृष्ठ सं.
1.	माननीय गृह और सहकारिता मंत्री, भारत सरकार का संदेश	श्री अमित शाह	07
2.	संरक्षक की कलम से	श्री बिजय कुमार कर	09
3.	संदेश	श्री प्रकाश चंद्र बेहेरा	10
4.	संदेश	श्री राजेन्द्र सिंह	11
5.	संदेश	श्री अमरिंदर सिंह रंगा	12
6.	संपादकीय	श्री देव प्रकाश	13
7.	राजभाषा हिंदी : संवैधानिक प्रावधान और विधिक व्याख्या	श्री देव प्रकाश	14
8.	ईश्वर, ब्रह्मांड और धर्म का रहस्य	मो. शम्श रज़ा	18
9.	रायरंगपुर से रायशिना हिल्स	श्री अशोक कुमार	20
10.	हमारे राष्ट्रीय ध्वज..	सुश्री बंदना विश्वकर्मा	22
11.	स्वतंत्रा दिवस समारोह	फोटो	24
12.	हर घर तिरंगा समारोह, पारादीप/धामरा सीमा शुल्क	फोटो	25
13.	जीएसटी के पांच साल	श्री सुमित कबड़वाल	26
14.	अग्निपथ योजना और भ्रांतियां	श्री मणिकांत	27
15.	भगवान की प्रतिज्ञा(कविता)	श्रीमती ममता पात्र	29
16.	मंजिल की ओर (कविता)	श्री दोलगोबिंद पलाई	30
17.	स्वरोजगार - आज की माँग	श्री रंजित कुमार	31
18.	गुणों की धारणा सच्चा श्रृंगार है	श्रीमती ममता पात्र	32
19.	कड़वा फल	संकलित लेख	33
20.	संस्कारीजी	श्री धरमवीर कुमार	34
21.	एक क्षण तथा अनमोल पल (कविता)	श्रीमती गीता रानी साहु	35
22.	गज़ल	मो. शम्स रज़ा	36
23.	एड-डी-कैंप (ए डी सी) - भारत	श्री सौरभ रॉयचौधुरी	37
24.	आइकोनिक सप्ताह समारोह	लेख व फोटो	39
25.	वृक्षारोपण, नुक्कड़ नाटक, संगोष्ठी	फोटो	42
26.	सौ सुनार की एक लुहार की	श्री धरमवीर कुमार	45
27.	ई-पत्रिका बनाम मुद्रित पत्रिका	श्रीमती नमिता कर	46
28.	चित्रांकन	सुश्री बंदना विश्वकर्मा	48
29.	ओड़िशा के रोमांचकारी वन्यजीव अभयारण्य	संकलित लेख	49
30.	विश्व तंबाकू निषेध दिवस वॉकाथन	फोटो	52
31.	गुरू दिवस, 2022 - चित्रांकन प्रतियोगिता	फोटो	53
32.	टिप्पणी के संदर्भ में प्रयोग होने वाले वाक्य	कार्यालयीन प्रयोग संबंधी	54
33.	हिंदी पखवाड़ा समारोह,2021	लेख तथा फोटो	56

अमित शाह
गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

प्रिय देशवासियो !

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं ।

हमारा देश सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। देश की भाषाई संपन्नता को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में भाषाओं के लिए अलग से आठवीं अनुसूची का प्रावधान किया जिसमें प्रारंभ में 14 भाषाएं रखी गयी थीं और अब इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। भारत की सभी भाषाएं महत्वपूर्ण हैं और अपना समृद्ध इतिहास भी रखती हैं। विभिन्न भारतीय भाषाओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हिंदी ने जनमानस के मन में विशेष स्थान प्राप्त किया है | यही कारण है कि आजादी के आंदोलन में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदी को संपर्क भाषा बनाकर आंदोलन को गति प्रदान की। 'स्वराज' प्राप्ति के हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में स्वभाषा का आन्दोलन निहित था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी की महती भूमिका को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 343 द्वारा संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि को अपनाया। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश दिए गए हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रेरणादायक नेतृत्व में आज जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और प्रत्येक क्षेत्र में हम नई ऊर्जा के साथ नये संकल्प ले रहे हैं, ऐसे में यह सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि राजभाषा हिंदी को लेकर संविधान द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए।

किसी लोकतांत्रिक देश में सरकारी कामकाज की भाषा तभी सार्थक भूमिका अदा कर सकती है जब वह देश के जन सामान्य से जुड़ी हो और प्रयोग करने में आसान हो, ज्यादा से ज्यादा लोग उसे समझते हों और जनसामान्य में लोकप्रिय हो। हिंदी की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसके साथ ही राजभाषा हिंदी में आवश्यकता के अनुसार शब्दावली निर्माण, वर्तनी के मानकीकरण किए गए और सरकारी कार्यालयों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन की नीति अपनाई गई | राजभाषा की इस विकास यात्रा में हमने कई लक्ष्य प्राप्त किए हैं लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। विगत तीन वर्षों से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकारी काम-काज में हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक करने के लिए गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग निरंतर प्रयासरत है जिससे विभिन्न मंत्रालयों / विभागों में हिंदी का काम-काज तेजी से बढ़ा है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्तमान में गृह मंत्रालय में ज्यादातर कार्य हिंदी में किया जाता है तथा कई अन्य मंत्रालयों में माननीय मंत्री भी अपना अधिकांश कार्य राजभाषा हिंदी में करते हैं ।

राजभाषा कार्यान्वयन की गति तीव्र करने और समय समय पर किए गए कार्यो की समीक्षा हेतु मई, 2019 में नई सरकार के गठन के पश्चात 57 मंत्रालयों में से 53 में हिंदी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है तथा निरंतर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। देश भर में विभिन्न शहरों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने की दृष्टि से अब तक कुल 527 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जा चुका है। विदेशों में लंदन, सिंगापुर, फिजी, दुबई और पोर्ट लुई में भी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। राजभाषा कार्यान्वयन को और मजबूत करने की दिशा में संसदीय राजभाषा समिति अपनी सिफारिशों के दस खंड माननीय राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर चुकी है तथा 11 वां खंड शीघ्र ही सौंपा जा रहा है।

राजभाषा विभाग द्वारा 13-14 नवंबर, 2021 को बनारस में पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन तथा नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों के लिए पहला तकनीकी सम्मेलन आयोजित किया गया। इन कार्यक्रमों से हिंदी प्रेमियों के उत्साह में अपार वृद्धि हुई है । यह और भी सुखद है कि हिंदी दिवस-2022 तथा द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का ऐतिहासिक आयोजन गुजरात के सूरत शहर में हो रहा है।

गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है। राजभाषा विभाग ने स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली "कंठस्थ' का निर्माण और विकास किया है जिसमें आज लगभग 22 लाख वाक्य शामिल किए जा चुके हैं। इस टूल का प्रयोग सुनिश्चित कर सरकारी कार्यालयों में अनुवाद की गति एवं गुणवत्ता बढ़ाई गई है। राजभाषा विभाग द्वारा जन-साधारण के लिए "**लीला हिंदी प्रवाह**" मोबाइल ऐप तैयार किया गया है जिसे अपनाकर 14 विभिन्न भाषा-भाषी अपनी-अपनी मातृभाषाओं से नि:शुल्क हिंदी सीख सकते हैं। राजभाषा विभाग के 'ई-महाशब्दकोश' में 90 हजार शब्द सम्मिलित किए गए हैं और 'ई-सरल' हिंदी वाक्यकोश में 9 हजार वाक्य शामिल हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को नई शिक्षा नीति मिली जिसमें मातृभाषा में शिक्षा देने को प्राथमिकता दी जा रही है। राजभाषा विभाग ने अमृत महोत्सव के अवसर पर विधि, तकनीकी, स्वास्थ्य, पत्रकारिता तथा व्यवसाय आदि सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों को शामिल करते हुए हिंदी से हिंदी "**बृहत शब्दकोश**" के निर्माण पर भी काम शुरु किया है और सुलभ संदर्भ कं लिए एक अच्छे शब्दकोश का सृजन किया जा रहा हैं। इस तरह की उन्नत शब्दावली प्रशिक्षण, अनुवाद तथा शीघ्रता से ग्रहण करने में भाषा की जानकारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी।

हजारों वर्षों से भारतीय सभ्यता की अविरल धारा हमारी भाषाओं, संस्कृति और लोकजीवन में सुरक्षित रही है। भारत में स्थानीय भाषाओं का योगदान हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अतुलनीय रहा है। इन भाषाओं ने हिंदी को समृद्ध किया है। हिंदी उन समस्त भारतीय भाषाओं की मूल परंपरा से है जो इस देश की मिट्टी से उपजी हैं, यहीं पुष्पित पल्लवित हुई हैं और जिन्होंने अपनी शब्द-संपदा, भाव संपदा, रूप, शैली और अपने पदों से हिंदी को लगातार समृद्ध समृद्ध किया है। **राजभाषा हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि उसकी सखी है और हमारी सभी भाषाओं का विकास एक दूसरे के परस्पर सहयोग से ही संभव है।**

प्रिय देशवासियो ! हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ कि आप और हम मिलकर यह संकल्प लें कि अपनी भाषाओं पर गर्व की अनुभूति करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी देश-विदेश के मंचों पर हिंदी में उद्बोधन देते हैं जिससे सभी हिंदी प्रेमियों में उत्साह का संचार होता है। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रतिभाशाली नेतृत्व में आने वाले 25 वर्षों को देश में अमृतकाल के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे में भाषाई समरसता को ध्यान में रखते हुए हिंदी तथा हमारी सभी भारतीय भाषाओं का विकास अत्यंत आवश्यक है।

आइये, आज संकल्प लें कि अपने दैनिक कार्यों में, कार्यालय के कामकाज में अधिक से अधिक काम हिंदी तथा स्थानीय भाषाओं में करके दूसरों के लिए भी अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तथा संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति करेंगे।

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को पुन: मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

जय हिंद !

नई दिल्ली

14 सितंबर, 2022

(अमित शाह)

श्री बी. के. कर, भा.रा.से.
मुख्य आयुक्त

भारत सरकार / GOVT. OF INDIA
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
MINISTRY OF FINANCE, DEPARTMENT OF REVENUE
जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, भुवनेश्वर जोन
GST, CENTRAL EXCISE & CUSTOMS, BHUBANESWAR ZONE
जीएसटी भवन, राजस्व विहार, भुवनेश्वर-751007, ओड़िशा
GST BHAWAN, RAJASWA VIHAR, BHUBANESWAR-751007, ODISHA

संदेश

मझे प्रसन्नता हो रही है कि राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने की भांति, वार्षिक गृह पत्रिका 'कोणार्क' का विगत 27 वर्षों से निरंतर प्रकाशन एक सराहनीय प्रयास है। कार्यालयीन कार्य हिन्दी में संपादित करने के साथ-साथ हमें अपने कार्यस्थल पर हमारे सम्मानीय कर निर्धारितियों (असेसी) से उनकी संतुष्टि हेतु राजभाषा हिन्दी और क्षेत्रीय भाषा ओड़िआ में वार्तालाप करना श्रेयस्कर होगा।

मुझे विश्वास है कि यह पत्रिका सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच राजभाषा के प्रति सकारात्मक वातावरण बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

भवनेश्वर प्रक्षेत्र (जोन) की गृह पत्रिका 'कोणार्क' के संपादन व प्रकाशन से जुड़े राजभाषा कर्मियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं निरंतर प्रकाशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

(बिजय कुमार कर)
मुख्य आयुक्त, भुवनेश्वर जोन

श्री प्रकाश कुमार बेहेरा, भा.रा.से.
प्रधान आयुक्त

भारत सरकार / GOVT. OF INDIA
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
MINISTRY OF FINANCE, DEPARTMENT OF REVENUE
जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भुवनेश्वर
GST & CENTRAL EXCISE, BHUBANESWAR
जीएसटी भवन, राजस्व विहार, भुवनेश्वर-751007, ओड़िशा
GST BHAWAN, RAJASWA VIHAR, BHUBANESWAR-751007, ODISHA

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि भुवनेश्वर जोन की वार्षिक हिंदी पत्रिका 'कोणार्क' के 27वें अंक का प्रकाशन किया जा रहा है, जो इस बात का द्योतक है कि हमारे कार्मिकों में लेखन प्रतिभा के साथ-साथ हिन्दी के प्रति प्रेम व्याप्त है।

'कोणार्क' के प्रकाशन की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब हमारे अधिकारीगण एवं कर्मचारीवृंद हिंदी की ओर सहजता से आकर्षित होकर संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन के प्रति संवेदनशील होंगे।

संघ की राजभाषा नीति और राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आप सभी कार्मिकों का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। "कोणार्क" पत्रिका के इस अंक में योगदान देने वाले सभी रचनाकारों, संपादन से जुड़े राजभाषा कर्मियों को बधाई।

(प्रकाश कुमार बेहेरा)
प्रधान आयुक्त
जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क
भुवनेश्वर आयुक्तालय

श्री राजेन्द्र सिंह, भा.रा.से.
प्रधान आयुक्त

भारत सरकार / GOVT. OF INDIA
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
MINISTRY OF FINANCE, DEPARTMENT OF REVENUE
जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, राउरकेला
GST & CENTRAL EXCISE COMMISSIONERATE, ROURKELA

संदेश

विगत वर्षों में वार्षिक गृह पत्रिका 'कोणार्क' के अनवरत प्रकाशन की कड़ी में इस वर्ष इसके 27 वें अंक का प्रकाशन जीएसटी, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, भुवनेश्वर जोन में पदस्थ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बेहद गर्व का विषय है। साथ ही वार्षिक गृह पत्रिका 'कोणार्क' का अनवरत प्रकाशन, राजभाषा हिन्दी के प्रति हमारे सम्मान को दर्शाता है।

'कोणार्क' के इस अंक में प्रकाशित रचनाओं के रचनाकारों, राजभाषा कर्मियों व प्रकाशन से जुड़े हिन्दी हितैषी अधिकारियों और कर्मचारियों को हृदयपूर्ण बधाई।

मुख्य आयुक्त कार्यालय, जीएसटी, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, भुवनेश्वर जोन के संयुक्त तत्वाधान में प्रकाशित 'कोणार्क' के इस नवीनतम अंक की सफलता और लोकप्रियता हेतु हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

(राजेन्द्र सिंह)
प्रधान आयुक्त
जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,
राउरकेला आयुक्तालय

श्री अरविंदर सिंह रंगा, भा.रा.से.
आयुक्त (अपील)

भारत सरकार / GOVT. OF INDIA
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
MINISTRY OF FINANCE, DEPARTMENT OF REVENUE
जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, भुवनेश्वर जोन
GST, CENTRAL EXCISE & CUSTOMS, BHUBANESWAR ZONE
जीएसटी भवन, राजस्व विहार, भुवनेश्वर-751007, ओड़िशा
GST BHAWAN, RAJASWA VIHAR, BHUBANESWAR-751007, ODISHA

संदेश

यह मेरे लिए गर्व का विषय है कि 'कोणार्क' पत्रिका के आगामी अंक का प्रकाशन किया जा रहा है, जो निश्चित तौर पर साहित्यिक अभिरुचि, सृजनात्मक लेखन आदि के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रचनात्मक मंच प्रदान करेंगी तथा विभिन्न विभागीय कार्यकलापों को सभी कार्मिकों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका अदा करेगी।

राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार से संबंधित सारे प्रयास तभी सार्थक होंगे, जब हम सभी राजभाषा हिंदी को दिल से अपनायेंगे और अपने कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करेंगे।

गृह पत्रिका 'कोणार्क' के 27 वें अंक के प्रकाशन पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

अ. सिं. रंगा

(अरविंदर सिंह रंगा)
आयुक्त (अपील)
अपील आयुक्तालय
भुवनेश्वर

संपादकीय

हिन्दी सेवी साथियों ,

आप सभी को सविनय नमस्कार !

"ग" क्षेत्र में स्थित, हमारे कार्यालय द्वारा विगत वर्षों की भांति राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन को मूर्त रूप देने की दिशा में इस वर्ष भी वार्षिक गृह पत्रिका 'कोणार्क' का प्रकाशन किया गया है। आप सुधि पाठकों के कर कमलों में 'कोणार्क' के नवीनतम व 27 वां अंक सादर सुपुर्द है।

भाषा की सम्पूर्ण आत्मीयता अपनी हिन्दी में उपलब्ध है। हिंदी एक साथ संघर्षो और ऐश्वर्य की भाषा है। समस्त प्रगतिशील मूल्यों का समाहार हिंदी में स्वत: है, 'कोणार्क' के रचनाकारों की रचनाधर्मिता में भाषा शैली और प्रस्तुतीकरण इन्हीं मूल्यों का द्योतक है।

'कोणार्क' पत्रिका को अनवरत बेहतर बनाने हेतु आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों की हमें प्रतीक्षा रहेगी।

जय हिन्द , जय हिन्दी !

(देव प्रकाश)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

राजभाषा हिंदी : संवैधानिक प्रावधान और विधिक व्याख्या

श्री देव प्रकाश
सहायक निदेशक (राजभाषा)

हमारे संविधान के भाषाई प्रावधानों ने कानूनी व्याख्या का कोई गंभीर प्रश्न नहीं उठाया है, लेकिन उन्होंने गंभीर राजनीतिक समस्याएं पैदा की हैं। भाषा के बारे में विवाद के परिणामस्वरूप हमारे संविधान के भाग XVII को अधिनियमित किया गया।

यह सर्व विदित है कि विधायिका अधिनियमन तथा नियम निर्धारित करती है और न्यायपालिका ही इन नियमों की विधिक व्याख्या करती है, इसी क्रम में यहां अनुच्छेद 345 के संवैधानिक प्रावधान और उसकी विधिक व्याख्या नीचे दी जाती है। भारतीय संविधान का 17 वां भाग संघ की राजभाषा, क्षेत्रीय भाषाओं, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों आदि में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा तथा राजभाषा संबंधी विशेष निर्देश से संबंधित है । भारतीय संविधान के 17 वें भाग के अध्याय 2 में अनुच्छेद 345 निम्नानुसार वर्णित है, जो राज्य की राजभाषा या भाषाओँ से संबंधित है :-

अनुच्छेद 345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं

अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगाः

परंतु जब तक राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

अर्थात संविधान का अनुच्छेद 345 किसी राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं से संबंधित है । सरल भाषा में अनुच्छेद 345 राज्य विधानमंडल को राज्य में प्रयोग की जाने वाली एक या अधिक भाषाओं को अपनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार देती है। कई राज्य विधानमंडल हैं जिन्होंने हिंदी के अलावा अन्य आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषा (भाषाओं) को अपनाया है जैसे कि बिहार, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। दिल्ली ने हिंदी के अलावा पंजाबी और उर्दू को अन्य आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं के रूप में भी अपनाया है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 345 राज्य विधानमंडल को दो विकल्प देता है : (1) राज्य में उपयोग में आने वाली किसी एक या अधिक भाषाओं को अपनाना और (2) हिंदी को अपनाना।

संविधान का अनुच्छेद 345, राज्य विधानमंडल के राज्य में राजभाषा के रूप में उपयोग में आने वाली किसी अन्य भाषा को अपनाने संबंधी विकल्प को सिर्फ इसलिए समाप्त नहीं करता है कि अनुच्छेद 345 में हिंदी का स्पष्ट रूप से या अलग से उल्लेख किया गया है और इसे राज्य द्वारा राजभाषा के रूप में अपनाया गया है ।

राजनीतिक स्वतंत्रता के संघर्ष के दौर में महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा का प्रश्न उठाया था। उन्होंने इसे कभी-कभी हिंदी के रूप में वर्णित किया, और कभी-कभी हिंदुस्तानी के रूप में, लेकिन वे इन दोनों एक ऐसी भाषा के रूप में समझते थे जो न तो संस्कृतनिष्ठ हिंदी थी और न ही फारसीकृत उर्दू थी बल्कि हिंदी और उर्दू दोनों का एक सुखद मिश्रण थी, जो या तो देवनागरी या फारसी लिपि में लिखी गई थी। भारत

के विभाजन तक देवनागरी और फारसी लिपि दोनों में हिंदुस्तानी भाषा ने मैदान पर कब्जा कर लिया। भारत के विभाजन के साथ हिंदुस्तानी का कारण खो गया था, हालांकि महात्मा गांधी का मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक व्यापक दृष्टिकोण के लिए खड़ा होना चाहिए और लोगों के सबसे बड़े समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा पर दृढ़ रहना चाहिए।

भारतीय लोगों के बीच एकता की आवश्यकता निर्विवाद थी, और अंग्रेजी ने उत्तर के लोगों को, जिनकी भाषा संस्कृत या फारसी से ली गई थी, और दक्षिण भाषी द्रविड़ भाषाओं के लोगों को एकजुट करके उस बुनियादी एकता कायम की थी, जो इतनी व्युत्पन्न नहीं थीं। फिर, उच्च स्तर पर प्रशासन, उच्च शिक्षा, विधायिका, कानून अदालतें, और पेशे सभी में अंग्रेजी का इस्तेमाल करते थे, और सवाल यह था कि अंग्रेजी की जगह कौन सी भाषा लेनी चाहिए और कब ? राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर एक राष्ट्रभाषा की मांग सामान्य थी। भाषा के प्रश्न पर तब तक अधिक ध्यान नहीं दिया गया, जब तक कि इसे संविधान सभा पर थोपा नहीं गया, लेकिन मुश्किलें तब सामने आईं जब उस मांग को संवैधानिक प्रावधानों में तब्दील करना पड़ा। एक समय ऐसा लगा कि संविधान सभा में जो एकता थी, वह भाषा से संबंधित प्रावधानों को तोड़ देगी। परंतु अंतिम क्षण में, "मुंशी-अयंगर सूत्र" नामक एक समझौता सूत्र विकसित किया गया था। इस सूत्र के पीछे दो बुनियादी सिद्धांत थे, एक "हमें पूरे भारत की आम भाषा के रूप में भारत में एक भाषा का चयन करना चाहिए"। दूसरा सिद्धांत यह था कि " संघ के सभी राजकीय उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले अंकों को भारतीय अंकों के अखिल भारतीय रूपों के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए।" विधानसभा के सदस्यों ने मुंसी-अय्यंगर फॉर्मूला के लिए मतदान किया और बिना किसी असहमति के स्वीकार कर लिया गया था।

यह आधा-अधूरा समझौता था, क्योंकि इसने किसी भी पक्ष को वह नहीं दिया जो वह चाहता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा था कि वे हिंदी को इस रूप में स्वीकार नहीं करते कारण कि 'हिन्दस्तानी' हिंदी को 'राजभाषा' हिंदी बाहर नहीं कर सकती। पण्डित जी के इस सम्बन्ध में स्पष्ट विचार थे 'राजभाषा' हिंदी सभी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करने वाली भारत की समग्र संस्कृति पर आधारित होनी चाहिए।

संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया और अंकों पर लड़ाई "भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप" के पक्ष में तय की गई। संघ की राजभाषा हिंदी है और संविधान का विचार है कि इसे धीरे-धीरे अंग्रेजी की जगह लेनी चाहिए। संविधान और राजभाषा अधिनियम ने संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगरेजी का प्रयोग जारी रखा है। संविधान के प्रवृत होने की तारीख से 15 साल की अवधि प्रदान की गई थी जिसके दौरान अंग्रेजी को जारी रखना था लेकिन यह एक लचीली सीमा थी, क्योंकि संसद इसे बढ़ा सकती थी।

हालांकि हिंदी को राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में चयन किया गया था, लेकिन इसे राष्ट्रीय भाषा के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यह भारत के सभी हिस्सों में आम तौर पर बोली जाने वाली भाषा नहीं थी। इसके अलावा, बंगाल में बंगाली, मद्रास में तमिल, तत्कालीन बॉम्बे राज्य में मराठी और गुजराती जैसी क्षेत्रीय भाषाएँ थीं जो बड़ी आबादी द्वारा बोली जाती थीं और उन भाषाओं के लिए यह दावा किया गया था कि वे हिंदी की तुलना में अधिक विकसित थीं। अन्य कारणों में से एक कारण यह भी है कि अंगरेजी विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षा का वास्तविक माध्यम थी और है। चूँकि सिद्धांत यह है कि विश्वविद्यालय की शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए अतः संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओँ यथा मराठी, गुजराती, हिंदी, तमिल, मलयालम और उर्दू आदि भाषाओं में से एक या एक से अधिक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में चयन तथा अन्य भाषाओँ के बहिष्करण को सही ठहराना मुश्किल होगा। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को उचित ठहराया जा सकता है। लेकिन अंग्रेजी के लिए किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा के प्रतिस्थापन को उचित नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित भाषाओँ के अलावा लोगों के बड़े समूहों द्वारा बोली जाने वाली अन्य भाषाएं भी होंगी जो विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम बनने में सक्षम हैं।

यह कटु सत्य है कि संविधान निर्माता किसी भाषा विशेष को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने में विफल रहे। भारत की भाषा के संबंध में संविधान में जो प्रावधान किया गया है, वह मुख्य रूप से विविध दावों के बीच एक समझौता है। संविधान में भाषा संबंधी जो प्रावधान किया गया है वह कोई राष्ट्रीय

भाषा नहीं है बल्कि - (1) संघ के लिए एक "राजभाषा" है (अनुच्छेद 343-344); (2) राज्यों के लिए क्षेत्रीय शासकीय भाषाएं (अनुच्छेद 345-347); और (3) राजभाषा (क) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए और (ख) संघ और राज्य स्तर पर विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों, उप-नियमों के लिए है। संविधान द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और न ही संविधान ने किसी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में निर्धारित किया है।

यह कहते हुए कि "उर्दू भाषी लोगों के हित में, भाषा को हिंदी के अलावा दूसरी भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।" विधायिका ने हिंदी के अलावा उर्दू को राज्य की दूसरी राजभाषा के रूप में पेश किया, जिसे महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। तत्पश्चात दिनांक 07.10.1989 को, उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28) (संक्षेप में, "1989 संशोधन अधिनियम") प्रभावी हुआ। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम,1951 में संशोधन करने के लिए 1989 संशोधन अधिनियम उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था। । इस संशोधन अधिनियम द्वारा, 1951 अधिनियम में धारा 2 के बाद धारा 3 को जोड़ा गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाने वाले प्रयोजनों के लिए उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा 1951 में हिंदी को राजभाषा भाषा घोषित करने के बाद 1989 के संशोधन अधिनियम के माध्यम से उर्दू को दूसरी राजभाषा भाषा के रूप में घोषित किये जाने के खिलाफ उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मलेन ने यह वाद दायर किया। विभिन्न न्यायालयी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए यह मामला अंततः संविधान पीठ के समक्ष बतौर विशेष अनुमति याचिका विचरण हेतु रखा गया।

उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन बनाम उत्तर प्रदेश शासन के दीवानी अपील मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र मल लोढ़ा की अध्यक्षता में दिनांक 04 सितंबर, 2014 को अपना अहम फैसला सुनाते हुए इस विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। इस संविधान पीठ में शामिल न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े ने भी अपने मंतव्य रखे।

उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन बनाम उत्तर प्रदेश शासन मामले में न्यायपालिका ने स्पष्ट किया कि

(1) राज्य विधानमंडल समय-समय पर अनुच्छेद 345 के तहत विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है, न कि अनुच्छेद 345 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए हिंदी को एक बार राज्य की राजभाषा के रूप में अपनाया जाने के पश्चात् राज्य विधानमंडल के पास अनुच्छेद 345 के तहत कानून बनाने की कोई शक्ति शेष नहीं है।

(2) अनुच्छेद 345 में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हिंदी के अलावा, राज्य में उपयोग की जाने वाली एक या अधिक भाषाओं को दूसरी राजभाषा के रूप में घोषित करने पर रोक लगाती है।

(3) अनुच्छेद 345 में हिंदी का अलग से प्रयोग करने का उद्देश्य राज्यों में हिंदी को अपनाने की सुविधा प्रदान करना है चाहे किसी राज्य विशेष में हिंदी का उपयोग हो रहा हो या नहीं। राज्य में हिंदी के अलावा एक या अधिक भाषाओं को अपनाने का मानदंड यह है कि वे भाषाएं "राज्य में उपयोग में" होनी चाहिए। यदि राज्य में ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है तो राज्य विधानमंडल किसी भी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है। हालाँकि, कर्नाटक में हिंदी के "उपयोग में" न होने पर भी, राज्य विधानमंडल के लिए हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित करने में कोई बाधा नहीं है। इसका कारण भाषाई मुद्दे पर संवैधानिक समझौता और पूरे भारत में हिंदी के प्रसार को सुविधाजनक बनाने के लिए हिंदी के बड़े संवैधानिक चार्टर में पाया जाना है।

(4) संविधान के अनुच्छेद 345 में विहित प्रावधानों के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा समय-समय पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर राज्य में उपयोग की जाने वाली एक या अधिक भाषाओं को दूसरी राजभाषा के रूप में घोषित किया जा सकता है।

(5) संविधान का अनुच्छेद 345 राज्य विधानमंडल को सिर्फ इसलिए कि हिंदी का स्पष्ट रूप से या अलग से उल्लेख किया गया है और इसे राज्य द्वारा राजभाषा के रूप में अपनाया गया है, राज्य में राजभाषा के रूप में उपयोग में आने वाली किसी अन्य भाषा को अपनाने के विकल्प को अवरूध नहीं करता है।

(6) अनुच्छेद 345 में हिंदी का उल्लेख पूर्ववर्ती अभिव्यक्ति "राज्य में प्रयोग की जाने वाली किसी एक या अधिक भाषाओं को अपनाने" के संदर्भ में अलग से किया गया है।

(7) अनुच्छेद 345 राज्य विधायिका को राज्य के सभी या किसी भी राजकीय उद्देश्यों के लिए राज्य में उपयोग की जाने वाली भाषाओं को अपनाने के लिए सक्षम बनाता है। यह आवश्यक नहीं है कि इस संबंध में राज्य सरकार से मांग की जानी चाहिए या यदि कोई मांग है, तो राज्य विधानमंडल राज्य में दूसरी राजभाषा के रूप में उपयोग की जाने वाली भाषा को अपनाते हुए कानून नहीं बना सकता है। यह अनुच्छेद 345 और 347 के बीच विशिष्ट विशेषताओं में से एक है। यदि किसी राज्य विशेष में हिंदी का उपयोग किया जाता है तो यह हिंदी के अलावा किसी भी भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाने के लिए राज्य की शक्ति या विवेक को प्रतिबंधित नहीं करता है, बशर्ते ऐसी भाषा उस राज्य में प्रयोग में हो।

(8) अनुच्छेद 345 में "कर सकेगा" शब्द का प्रयोग महत्वहीन नहीं है। यह इंगित करता है कि राज्य में प्रयोग में आने वाली भाषा या भाषाओं को अपनाने में राज्य का विवेकाधिकार प्राप्त है और यही स्थिति हिंदी के लिए भी लागू है । राज्य का विधानमंडल जितनी बार भी उचित समझे इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। ऐसी विधायी शक्ति का एकमात्र प्रतिबंध अनुच्छेद 347 में निहित है।

(9) संविधान के भाग XVII का "राजभाषा" शीर्षक एक पूर्ण संहिता के समान संविधान का एक स्व-निहित हिस्सा है। विशेष रूप से भाग XVII में हिंदी भाषा को विशेष दर्जा प्राप्त है और इस संबंध में अनुच्छेद 343(1), 344(2)(क), 345, 346 परंतुक, 348(2) और 351 का संदर्भ हिंदी के लिए बड़े संवैधानिक चार्टर को निर्धारित करते हैं।

(10) भाग XVII के कई प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति (या उस मामले के लिए, 'संघ सरकार') की भूमिका को निर्दिष्ट करता है। राष्ट्रपति जी एक अतिरिक्त राजभाषा की मांग पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिस सन्दर्भ में अनुच्छेद 347 की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। यह निर्देश देने से पहले कि उनके द्वारा निर्दिष्ट किसी विशेष भाषा को बतौर राजभाषा पूरे राज्य या राज्य के किसी भी हिस्से में ऐसे उद्देश्य के लिए मान्यता दी जाएगी, राष्ट्रपति जी को यह संतुष्ट होना आवश्यक है कि राज्य की आबादी का एक बड़ा हिस्सा किसी भी भाषा का उपयोग करना चाहता है और उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए।

(11) अनुच्छेद 350बी में निहित प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति जी भाषाई अल्पसंख्यकों की मांग के संबंध में आकलन कर सकते हैं।

(12) राज्य विधानमंडल द्वारा शक्ति का प्रयोग किसी भी तरह से राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 347 के तहत जारी किए गए निर्देशों के विरोध में नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 345 के तहत राज्य की पूर्ण शक्ति केवल इस सीमा तक सीमित है। सीमित सीमा को छोड़कर, यह कहना सही नहीं है कि अनुच्छेद 345 के तहत राज्य विधानमंडल की शक्ति अनुच्छेद 347 के अधीन है।

उपरोक्त मामले के निर्णित आदेश से यह स्वतः स्पष्ट है कि राज्य में दूसरी राजभाषा के रूप में हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा को प्रयोग में लाने पर अनुच्छेद 345 में कोई रोक नहीं है। ❑❑❑

ईश्वर, ब्रह्मांड और धर्म का रहस्य

मो. शम्स रज़ा
अधीक्षक
सीमा शुल्क मंडल, पारादीप

ब्रह्मांड -

ईश्वर द्वारा कल्पित एक रहस्यमयी रचना।

धर्म –

मानवजाति को ईश्वर की सत्ता तक पहुंचाने वाला मार्ग जिसे मानवजाति ने ही सृजित किया है या यूं कहें कि ईश्वर जो अपरिभाषित है, धर्म एक विकल्प है, उसे परिभाषित करने का।

ईश्वर -

जिसे न समझा जा सकता है और न ही समझाया जा सकता है।

जो न दिखाई देता है और न ही महसूस होता है।

जो कण कण में विद्यमान है और हर कण से स्वतंत्र भी है।

जो हर जगह है और कहीं भी नहीं है।

अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर वो है जिसे किसी भी तरह से परिभाषित करना इंसान के बस मे नहीं है।

(हालांकि यह भी परिभाषित करना ही हुआ लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है)

ये अजब सितम है या रब!
इंसान को राज़ जू बनाया (रहस्य का पता लगाने वाला)
और राज़ उसी की निगाह से छुपाया।

शायर अल्लामा इकबाल की ये चंद लाईनें इंसान की जिंदगी की पूरी दास्ताँ है।

ईश्वर ने इंसान के अंदर ये एक प्राकृतिक खूबी (विशेषता) डाली है कि वो दुनिया को पूरी तरह से जान लेना चाहता है, उसके रहस्यों और गहराईयों तक पहुँच पाने की अदंभ चाहत उसके सीने मे हरदम ठाठें मारता रहता है।

इंसान होना अपने आप मे एक बहुत बड़ा रहस्य है लेकिन यह ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा रचित एक रहस्यमयी रचना है जिसके रहस्यों की छान बीन और उसकी गहराईयों का पता लगाने मे इंसान संघर्षरत है। और इस कोशिश मे वो इतना मगन है कि उसे अपने होने का रहस्य दिखाई नहीं देता है। सदियाँ बीत गईं, हम बहुत कुछ जान भी चुके हैं लेकिन आज भी हम यह कहने का हक नहीं रखते हैं कि **"हम सब कुछ जान चुके हैं"**। हमारे अनुसार बहुत कुछ जान लिया गया है लेकिन ब्रह्मांड की भव्यता और इसकी असाधारणता से ये स्पष्ट हो जाता है कि अभी भी बहुत ज्यादा जानने को बचा है। और अब क्या ही मजे की बात है न हमें खुद के रहस्य का पता है, न हम ब्रह्मांड को पूरी तरह जान पाए हैं और ईश्वर जो हमारी आँखों से पूरी तरह से ओझल है, उसकी तलाश अब तक जारी है ।

अकबर इलाहबादी ने खूब कहा है-

फ़लसफ़ी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं
डोर को सुलझा रहा है सिरा मिलता नहीं ।

सारे विद्वान, सारे वैज्ञानिक और सारे बुद्धिजीवी इस रहस्यमयी डोर को सुलझाने मे लगे हैं लेकिन उनके हाथ कुछ सटीक अब तक नहीं लगा है। विज्ञान की कई थ्योरी जो कल सर्वमान्य थी आज उसमे कई रद्द हो चुके हैं। मेरा कहने का ये मतलब कतेई नहीं है कि हम ग़लत दिशा मे आगे बढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आज भी हमारी स्तिथि इस ब्रह्मांड और ईश्वर के समक्ष एक चींटी के मानिंद है जिसको हमें स्वीकार करना आना चाहिए।

जहां तक मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें स्वंय के रहस्य की खोज करनी चाहिए तब जाकर शायद ईश्वर का रहस्य और कई अनसुलझे सवालों के जवाब खुद बखुद मिल जाए।

और जब बात अपने रहस्य तक पहुँचने की होती है तो सिवाये धर्म के कोई और मार्गदर्शक दिखाई नहीं देता। क्योंकि मेरी

नजर में धर्म वो नहीं है जो सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च तक सीमित हो, बल्कि **धर्म उस कुंजी का नाम है जो ईश्वररूपी ताले को खोलने की सलाहियत (क्षमता) रखती है**। और ईश्वररूपी ताला कोई और नहीं यह इंसान ही है जिसके अंदर हर राज दफन है।

किसी ने क्या खूब कहा है-

अपने मन में डूब कर पा जा सुराग-ए- जिंदगी
(जीवन का रहस्य)
तू अगर मेरा नहीं बनता, न बन, अपना तो बन ।

और इसी बात को संत कबीर दास जी ने कहा है –

कस्तूरी कुंडलई बसें मृग ढूँढे वनमाही
ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही

(शब्दार्थ:-खुशबू हिरन के नाभि मे छुपी होती है और वो पूरा जंगल उसे ढूँढता रहता है , ऐसे ही ईश्वर भी हमारे बहुत पास हैं और हम उसे पूरी दुनिया मे ढूंढते रहते हैं)

धर्म की जब बात चली है तो यह भी बताता चलूँ कि धर्म का अस्तित्व प्रेम के नाजुक डोर से बंधा है। अगर प्रेम नहीं है तो धर्म एक कर्मकांड के सिवा कुछ भी नहीं है। धर्म यदि एक विशाल वृक्ष है तो प्रेम उसकी जड़ है। वृक्ष के सिर्फ पत्तों और डालियों पर पानी डालने से वृक्ष फलित नहीं हो सकता बल्कि उसकी जड़ मे पानी का पहुंचना बहुत आवश्यक है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि पत्तों और डालियों में पानी डले न डले लेकिन जड़ कभी सूखा न रहे। जैसा कि एक गीत है-

ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।

बात तो निकली थी ब्रह्मांड से जो धर्म और ईश्वर से होते हुए प्रेम के गंगा तक पहुँच गई। धर्म, ईश्वर, ब्रह्मांड और प्रेम, ये चारों शब्द बड़े नाजुक, अनमोल और अतुलनीय हैं, इन शब्दों को संभाल कर रखना और इसके सही अर्थ तक पहुंचना इंसान का लक्ष्य होना चाहिए।

और अंत में मेरी बातों का सारांश ये है कि

धर्म, ईश्वर, ब्रह्मांड और प्रेम एक ही डोर मे बंधी हुई मलाएं हैं, किसी एक को पाना सभी को पा लेना है। ❑

रायरंगपुर से रायसिना हिल्स

श्री अशोक कुमार
अधीक्षक

भारत को द्रौपदी मुर्मू के रूप में अपना 15वां राष्ट्रपति मिल चुका है। द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बन इतिहास रच दिया है। हमेशा हँसती-मुस्कुराती दिखने वाली द्रौपदी मुर्मू की अपनी जीवन यात्रा काफी संघर्षों से भरी रही है। ओड़िशा के मयूरभंज जिले के उपरबेड़ा गाँव का नाम भी कम ही लोग जानते होंगें, जहाँ द्रौपदी मुर्मू ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किया। आज यह गाँव वीवीआईपी गाँव हो गया है और दूसरा रायरंगपुर भी आज सुर्खियों में है जहां द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन का काफी समय गुजारा और यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई।

द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओड़िशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंचि नारायण टुडु है। उनके दादा और उनके पिता दोनों ही उनके गाँव के प्रधान रहे हैं। मुर्मू मयूरभंज जिले की कुसुमी तहसील के गांव उपरबेड़ा में स्थित एक स्कूल से पढ़ी हैं।

पढ़ने और बढ़ने को लेकर द्रौपदी मुर्मू में इस कदर ललक थी कि स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपना रास्ता खुद तय किया और पहुंच गई भुवनेश्वर जहां से वो ग्रेजुएट हुईं और फिर ओड़िशा सचिवालय में उनकी क्लर्क की नौकरी लग गई। बाद में उन्होंने एक बैंक कर्मचारी श्याम चरण मुर्मू से ब्याह रचाया और बन गई द्रौपदी मुर्मू।

द्रौपदी मुर्मू ने ओड़िसा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर इलाके में काफी समय गुजारा, यहाँ वे अपनी पति के साथ रही। यहीं उन्होंने घर बनाया। 90 के दशक के शुरूआती समय में उन्होंने यहाँ के अरबिंदो स्कूल में कुछ समय के लिए शिक्षिका के रूप में कार्य किया, वह भी बहुत कम मानदेय पर।

समाज के प्रति द्रौपदी मुर्मू का सेवाभाव को देखकर वो बहुत लोगों के नजरों में आईं। यहीं पर उनकी राजनीती में एंट्री की राह खुली। मयूरभंज जिले में बड़ी तादाद में संथाली आबादी थी और द्रौपदी मुर्मू संथाली चेहरा रही है। लिहाजा 1997 में भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू को नोटिफाइड एरिया कमिटी यानी एन.ए.सी. का पार्षद के चुनाव में उतार दिया और वो पहला ही चुनाव जीत गईं। बतौर पार्षद अपने काम से उन्होंने सबको अपना मुरीद बना दिया। यही से मुर्मू की राजनीति के पंख लगने शुरू हुए।

बतौर पार्षद चर्चा में आयी मुर्मू को भाजपा ने साल 2000 में पहली बार विधायक का चुनाव लड़वाया और वो जीत भी गई, फिर साल 2004 में भी दोबारा विधायक बनी तब बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन के तहत चुनाव जीता था। रायरंगपुर से ही उन्होंने भाजपा के साथ राजनीति के सोपान पर पहला पहला कदम रखा था और 2000 से 2004 तक ओड़िशा की बीजद-भाजपा गठबंधन सरकार में मंत्री भी रहीं।

मुर्मू को 2007 में ओड़िशा विधानसभा द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए "नीलकंठ" पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके पास ओड़िशा सरकार में परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे मंत्रालयों को संभालने का विविध प्रशासनिक अनुभव है। भाजपा में, मुर्मू उपाध्यक्ष और बाद में ओड़िशा में अनुसूचित जनजाति मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी हैं।

वर्ष 2009 को लोकसभा चुनाव में वो हार गईं। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू के जीवन में बड़ी आपदा लेकर आए। सिर्फ 2009 के लोकसभा चुनाव के हार ही नहीं बल्कि अगले छह साल तक द्रौपदी मुर्मू के जीवन के बहुत दर्दनाक और बहुत उथल-पुथल वाले साल रहे। उन छह सालों में उन्होंने अपने परिवार के तीन सबसे अहम सदस्यों को खोया। 2009 में बड़ा बेटा, 2013 में छोटा बेटा और 2014 में उनके पति श्याम चरण मुर्मू का निधन हो गया। इससे द्रौपदी मुर्मू बुरी तरह से टूट गई थीं। ऐसे दर्द भरे दौर में वे आध्यात्मय की शरण में चली गईं और ब्रह्मकुमारी संस्थान से जुड़ गईं।

साल 2015, जब झारखंड में भाजपा की सरकार बनी तब राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू को नियुक्त किया गया। द्रौपदी मुर्मू ने साल 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में शपथ लिया। वह अपने सटीक और निष्पक्ष फैसलों के लिए मशहूर रही। जब नबंबर 2016 में झारखंड के सदियों पुराने कानून- छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम तथा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में संशोधन पारित किया, जिसका उद्देश्य जमीनों को औद्योगिक इस्तेमाल के लिए सुनिश्चित करना था, उसका आदिवासियों ने भारी विरोध किया था। इस मामले को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू नें विधेयक को वापस कर दिया तथा सरकार को यह स्पष्ट करने को कहा कि इस संशोधन से आदिवासियों को कैसे फायदा होगा। उनका यह फैसला वास्तव में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए नज़ीर बना जो दलगत भावना से ऊपर उठकर समाज कल्याण के लिए फैसला लेते हैं। उन्होंने इसे विवादास्पद भूमि विधेयक को मंजूर करने से इंकार कर दिया जिससे वे खुद जुड़ीं इस वजह से वे झारखंड में प्रशंसा और सम्मान की हकदार बनी।

अब वह स्वर्णिम वर्ष 2022 आया, जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्री जसवंत सिन्हा को 208 के मुकाबले 540 मत पाकर हरा दिया और देश के सर्वोच्च शिखर पर आसीन हो गईं, इस प्रकार "रायरंगपुर से रायसीना का सफर तय किया"।

एक क्लर्क, एक शिक्षिका व एक समाजसेवी से देश के इस सर्वोच्च सम्मानित पद पर आसीन होने वाली देश की एकमात्र आदिवासी महिला राष्ट्रपति है जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के साथ - साथ देश की कुल आबादी के साढ़े आठ फीसदी से कुछ ज्यादा आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन जनजाति की बात करें तो वह संथाल जनजाति से ताल्लुक रखती हैं। भील और गोंड के बाद संथाल जनजाति की आबादी आदिवासियों में सबसे ज़्यादा है। यह एक संयोग ही है कि राष्ट्रपति मुर्मू स्वतंत्र भारत में जन्म ग्रहण करने वाली भी पहली राष्ट्रपति है और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, जो सदैव प्रेरणा की स्त्रोत रहेंगीं। ❑❑❑

हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर चक्र - एक प्रतीक के रूप में

सुश्री बंदना बिश्वकर्मा
अधीक्षक

हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को लंबी चर्चाओं के बाद अंतिम रूप दिया गया और अंततः उसे 22 जुलाई 1947 को मंजूरी दे दी गयी ।

अशोक चक्र को ध्वज के एक सफेद पृष्ठभूमि पर गहरे नीले रंग में प्रस्तुत किया गया, जो स्वतंत्रता के पूर्व संस्करण में उपस्थित चरखे को हटा कर उसके जगह लिया गया था। ध्वज पर स्थित नीले रंग का चक्र , तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व अशोक सिंहचतुर्मुख (लायन कैपिटल) स्तंभ से लिया गया है, जो वाराणसी के पास सारनाथ में एक खुदाई में मिला था । इसका निर्माण भारत के महान शासक अशोक द्वारा करवाया गया था । यह सिंहचतुर्मुख स्तम्भशीर्ष ही भारत के राष्ट्रीय चिह्न के रूप में स्वीकार किया गया है। अशोक चक्र को भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बीच की सफेद पट्टी में रखा गया है ।अधिकांश भारतीय मुद्राओं एवं सिक्कों पर अशोक का सिंहचतुर्मुख रहता है। इसके सिंधु- घाटी संस्कृति और हड़प्पा-वैदिक काल से ही भारतीय परंपराओं में बहुआयामी महत्व के कारण इसे ध्वज के लिये अपनाया गया था।

अशोक चक्र में चौबीस तीलियाँ(स्पोक्स) समान अंतर में स्थापित हैं। हिंदू धर्म के अनुसार, 24 ऋषियों ने 24 अक्षरों को धारण करने वाली गायत्री मंत्र की पूरी शक्ति को नियंत्रित किया । धर्म चक्र की सभी 24 तीलियाँ हिमालय के 24 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनमें विश्वामित्र प्रथम और याज्ञवल्क्य अंतिम माने जाते हैं।

चक्र वास्तव में पहिये का रूप है। चक्र रूप में पहिया निरंतर गतिमान रहता है और यह गति समय और जीवन की निरंतरता को प्रदर्शित करती है, जिसे उपनिषद में 'चारैवेती, चरैवेती, चरैवेती' के रूप में बेहतर तरीके से समझाया गया है, जिसका अर्थ है - चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। यह उस गति और निरंतरता को दर्शाता है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर रहने के लिए प्रेरणादायी है। चक्र इस अर्थ को भी दर्शता है कि, गतिमान स्थिति ही जीवन है और स्थिरता ही मृत्यु । यह एक शांतचित परिवर्तन की गतिशीलता की ओर इंगित करता है। इसका पर्याय है की, भारत को भी इस सकारात्मक परिवर्तन का विरोध नहीं करना चाहिए। इसे भी आगे बढ़ना है और सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए। शुरुआती दिन की बैलगाड़ियों से लेकर आधुनिक ट्रेनों और विमानों तक के वाहनों को गति पहियों के कारण मिलती है। पहियों के बिना कोई गति नहीं हो सकती है फलस्वरूप कोई जीवन और प्रगति भी नहीं हो सकती है। घड़ी भी पहिए का एक स्वरूप है जो काल चक्र और समय चक्र को प्रदर्शित करती है।

चक्र को कई रूपों में वर्णित किया गया है, जो चक्र के विभिन्न आयामों, अर्थ और उपयोगिता का वाखान करते है। ब्रह्माण्ड चक्र, जो ब्रह्मांड का प्रतीक है; संसार चक्र, विश्व व्यवस्था का प्रतीक है; जीवन चक्र, मनुष्यों, जानवरों और पौधों में जन्म और पुनर्जन्म का अंतहीन चक्र को प्रदर्शित करता है; ऋतु चक्र, छह ऋतुएँ है जो एक के बाद एक आती हैं और इस चक्र को अंतहीन रूप से दोहराती रहती हैं; और अंत में 'काल चक्र' अर्थात समय चक्र जो समय के निरंतर चलायमान स्थिति को प्रदर्शित करती है ।

धर्म चक्र के यह रूप वैदिक 'रीत', धर्म, नैतिक व्यवस्था के प्रतीक को स्थापित करता है। धर्म चक्र, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह निरंतर प्रवाह को दर्शाता है जो नैतिकता और आचार संहिता के रूप में व्यक्ति और समाज को नियंत्रित करता है। भगवान बुद्ध के पहले उपदेश

को 'धर्म चक्र प्रवर्तन' के नाम से जाना जाता है। वास्तव में सारनाथ का अशोक स्तंभ धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना का एक स्मारक था और धर्मसंघ की अक्षुण्णता (Intactness) को बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी।

काल चक्र के रूप में सुदर्शन चक्र बन कर विष्णु अवतार के समय विष्णु के हाथों में एक भयानक अस्त्र बन कर सुशोभित हुआ - महाभारत के वासुदेव कृष्ण। यह एक सुंदर अस्त्र के रूप में वर्णित है लेकिन बहुत ही तेज गति वाला, जिस्का उद्देश्य संसार में व्याप्त अपूर्णता को नष्ट करना है।

चक्र का एक प्रतीक सूर्य भी है, जो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे आवश्यक स्रोत माना जाता है। सूर्य भी एक चक्र की तरह अपनी धुरी पर लगातार घूमता रहता है। वास्तव में, प्रारंभिक काल के कलाकृत्यों में सूर्य को एक चक्र के रूप में दर्शाया गया है। इसके अलावा, जब किसी राजा या देवता को शक्तिशाली या 'चक्रवर्ती' के रूप में चित्रित किया जाता है, तो उसे सिर के पीछे एक चक्र-आभा के साथ चित्रित किया जाता है। इससे यही सिद्ध होता है की चक्र का चित्रण हमरे इतिहास में प्राचीन काल से ही चला आता रहा है।

चक्र हमारे जीवन में "विविधता में एकता" को दर्शाता है । यह हमारी संस्कृति और लोकतंत्र की मार्गदर्शक शक्ति का प्रतीक है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर उपस्थित होने वाला अशोक चक्र, समय चक्र के रूप में भी जाना जाता रहा है, जिसमें चक्र की 24 तीलियाँ दिन के 24 घंटे का प्रतिनिधित्व करती हैं और समय की गति को प्रदर्शित करती हैं। वे केंद्र से निकलते हैं और विभिन्न दिशाओं में परिधि की ओर बढ़ते हुए, विविधता को प्रदर्शित करते हैं, जबकि गतिहीन लेकिन सभी को एकजुट करने वाली धुरी एकता का प्रतिनिधित्व करती हुई, हमारे देश के विभिन्न संस्कृतीयों में उपस्थित "विवधता में एकता" को दर्शाती है। यद्यपि तीलियाँ अलग-अलग दिशाओं में जाती हैं, तथापि वे सभी समान रूप से एक जुट हो कर , केंद्र से बंधी रहती हैं। यह मुझे ऋग्वेद की एक कहावत की याद दिलाता है: 'एकम सत विप्र बहुधा वदंती - सत्य एक है, चक्र के शांत केंद्र की तरह, लेकिन विद्वान इसका अलग-अलग तरीकों से वर्णन करते हैं, जैसे कि अलग-अलग दिशाओं में जाने वाली तीलियां।

अशोक चक्र हमारे देश के पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है। अपने 24 तीलियों द्वारा यह एक व्यक्ति के 24 गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो 24 धार्मिक पथ पर मनुष्यों को चलने के लिए अग्रसर करती हैं। अशोक चक्र में वर्णित सभी 24 धार्मिक पथ किसी भी देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए पर्याप्त है। शायद यही कारण है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनरों ने उसमें से चरखा हटा कर अशोक चक्र को स्थापित किया । अशोक चक्र में उपस्थित प्रत्येक तीलियों का अपना अलग ही अर्थ है। ये तीलियाँ देश के समग्र विकास की ओर इशारा करती हैं। ये तीलियां सभी देशवासियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में स्पष्ट संदेश देती हैं। ये तीलियां 24 सिद्धांतों को प्रदर्शित करती हैं जिनका नागरिकों को उचित पालन करना चाहिए ताकि जाति, धर्म, भाषा और पोशाक के अंतर को कम किया जा सके।

ये 24 सिद्धांतों ये हैं क्रमशः- शुद्धता (सादा जीवन जीने की प्रेरणा), स्वास्थ्य (स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन प्राप्त करने की प्रेरणा), शांति (देश भर में शांति और सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा), बलिदान (देश और समाज के लिए स्वंम को बलिदान करने के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा), नैतिकता (पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में उच्च नैतिकता का पालन करने की प्रेरणा), सेवा (देश और समाज की सेवा करने के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा), क्षमा (मनुष्य और अन्य प्राणियों के प्रति क्षमा की भावना रखने की प्रेरणा), प्रेम (देश और ईश्वर द्वारा कृत्य अन्य सभी प्राणियों के प्रति प्रेम की भावना रखने की प्रेरणा), मित्रता (सभी नागरिकों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखने की प्रेरणा), बंधुत्व (देश में भाईचारे की भावना विकसित करने की प्रेरणा), संगठन (राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत बनाये रखने की प्रेरणा), कल्याण (देश और समाज से संबंधित कल्याणकारी गतिविधियों में भाग लेने की प्रेरणा), समृद्धि (देश के विकास में सक्रिय रूप से भाग लेने की प्रेरणा), उद्योग (देश की औद्योगिक प्रगति में सहायता के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा), सुरक्षा (देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने की प्रेरणा), जागरूकता (सच्चाई से सदैव अवगत होना और अफवाहों पर विश्वास न करने की प्रेरणा), समानता (समानता पर आधारित समाज की स्थापना के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा), अर्थ (धन का इष्टतम उपयोग करने की प्रेरणा), नीति (देश की नीति में विश्वास रखने की प्रेरणा), न्याय (सभी के लिए न्याय की बात करने की प्रेरणा), सहयोग (एक साथ मिलकर काम की प्रेरणा रखना), कर्तव्य (अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना), अधिकार (अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करना), ज्ञान (पुस्तकों से परे ज्ञान प्राप्त करना)।

अतः, हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर उपस्थित चक्र केवल एक चित्रांकित आकृति नहीं है बल्कि यह भारतीय परंपरा और दार्शनिकता का मूल भाव है। ❑❑❑

स्वतंत्रता दिवस समारोह, 2022

स्वतंत्रता दिवस, 15 आगस्त, 2022 को ध्वजारोहण, परेड का निरीक्षण तथा सभा को संबोधित करते हुए जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, भुवनेशवर जोन के मुख्य आयुक्त श्री बिजय कुमार कर।

स्वतंत्रता दिवस, 15 आगस्त, 2022 को देशभक्ति गीत कार्यक्रम का आनंद लेते कार्यालय के अधिकारीगण

जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, भुवनेश्वर जोन के पारादीप स्थित सीमा शुल्क मंडल कार्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित हर घर तिरंगा अभियान मनाया

जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, भुवनेश्वर जोन के धामरा स्थित सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों और समुद्री कर्मचारियों ने 14 और 15 अगस्त 2022 को 'हर घर तिरंगा' अभियान मनाया, जो आजादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। भारतीय स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उनके आवास, कार्यालय और धामरा कस्टम डिवीजन बोट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा बने।

जीएसटी के पांच साल का सफर

श्री सुमित करड़वाल
अधीक्षक

जीएसटी की शुरूआत औपचारिक रूप से 1 जुलाई, 2017 को हुई थी पर वैचारिक रूप से यह शुरूआत 2004 में 13वें वित्त आयोग के चेयरमैन विजय केलकर के एक टास्क फोर्स द्वारा हुई थी।

ऐसा नहीं है कि जीएसटी की परिकल्पना पहली बार भारत में हुई। यह तो 1954 में ही फ्रांस में लागू हो चुका था और तबसे 140 देश इसे लागू कर चुके हैं। भारत ने कैनेडियन डुअल जीएसटी मॉडल चुना है जो कि केन्द्र और राज्य दोनों को समान अधिकार देता है, जीएसटी कानून पारित करने का।

अब राजस्व संग्रह के मामले में जीएसटी का सफर एक रोलर कोस्टर की तरह रहा। शुरुआती दौर में जैसे अगस्त 2017 में राजस्व 95,633/- करोड़ रहा और बीच में कोरोना की महामारी के कारण राजस्व 32,172 करोड़ रहा और बाद में वैक्सीन ने अपनी उपयोगिता दिखानी शुरू की और कोरोना से कुछ राहत मिलते ही अप्रैल 2022 में अब तक राजस्व का सबसे बड़ा उछाल 1,67,540/- करोड़ के रूप में मिला।

जीएसटी अधिनियम एक जीवन्त और लचीला अधिनियम है, जो कर धारकों की सहुलियत के लिए अपने को संशोधित और सरल बनाता रहा है। जिसका उदाहरण है कि उसमें अब तक 374 अधिसूचना और 169 सर्कुलर लाए जा चुके है।

जीएसटी में मोटे तौर पर 4 स्लैब हैं, 5%, 12%, 18%, 28% (cess (सेस) सहित) और कुछ विशेष स्लैब भी हैं जैसे 3% गोल्ड(सोना) पर और 1.5% पौलिस्ड हीरे पर। इसी एक वजह से इसकी निंदा भी की जाती है कि जहाँ एक राष्ट्र, एक बजार, एक टैक्स है वहाँ एक स्लैब क्यों नहीं। जिसका एक जवाब यह है कि रेट रैश्नालाइजेशन (Rate Rationalisation) एक प्रक्रिया है जिसे जमीनी स्तर पर लाने में समय लगता है वरना कहीं मलेशिया जैसा हाल ना हो जाए जिसने अप्रैल 2015 में जीएसटी सिर्फ 6% के सिंगल रेट पर लागू तो किया गया पर केवल 3 साल बाद 2018 में उसे निरस्त कर के बिकरी एवं सेवा कर वापस लेना पड़ा।

अब एक कर-धारक के विचार से सोचा जाए तो पहले जहाँ वह माल उत्पादन करता था तो उसको केन्द्रीय उत्पाद कर देना होता था फिर जब वह माल को दूसरे राज्य में ले जाता था तो उसे केंद्रीय बिकरी कर (CST) देना होता था और जब उसे किसी राज्य में बेचना पड़ता था तो उसे वैट (VAT) देना होता था। परंतु जीएसटी के आने के बाद वह उत्पादन करे या अन्तराज्य उसे बेचने जाए या किसी राज्य में बिकरी करे, उसे बस जीएसटी ही देना है जो कि केंद्रीय माल एवं सेवा कर (CGST), राज्य माल एवं सेवा कर (SGST), एकीकृत माल एवं सेवा कर (IGST), में विभाजित है और इसका रिटर्न भी एक कॉमन जीएसटी ऑनलाइन पोर्टल पर अपने ऑफिस में बैठे-बैठे, बिना किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाए भरा जा सकता है।

जीएसटी से पूर्व कर प्रशासन को कर चोरी अथवा ज्यादा से ज्यादा कर धारकों को कर के दायरे में लाने की चिंता रहती थी पर जीएसटी आने से अब तक 30 जून 2022 तक 1.29 करोड़ कर धारक इस प्रणाली में शामिल हो गए हैं। अक्तूबर 2020 से लागू ई-इनवाईसिंग की प्रणाली से फेक इनवाईसिंग का खतरा काफी कम हो गया है, जिससे कर धारकों को सही इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में भी आसानी हो।

अतः आने वाले समय में जब विश्व की अर्थ व्यवस्था स्थिर हो जाएगी तब जीएसटी के कारण हमारा कर, जीडीपी रेशियो बढ़ेगा जिससे कि सरकार के पास ज्यादा राजस्व होगा जनहित की योजनाओं में लगाने के लिए और भारत को विकासशील से विकसित देश की ओर ले जाने के लिए। ❑❑❑

अग्निपथ योजना और भ्रांतियां

श्री मणिकांत
अधीक्षक
लेखा-परीक्षा आयुक्तालय, भुवनेश्वर

वतन की मोहब्बत में खुद को तपाये बैठे हैं,
मरेंगे वतन के लिए, शर्त मौत से लगाए बैठे हैं।

भारत एक युवा देश है जिसमे अपने सभी लक्ष्यों को छूने की अपार सम्भावनाए है। भारत सरकार ने अपने युवाओं और देश के हित को ध्यान में रख कर सेना को पहले से ज्यादा आधुनिक रूप और युवाओं को मौका देने के लिए एक महात्वाकांक्षी 'अग्निपथ' योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत देश के युवाओं को थल सेना, वायु और नौसेना में चार साल तक सेवा देने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। इस स्कीम के तहत 75% जवानों की भर्ती 4 साल के लिए की जाएगी योजना क`तहत भर्ती होन`वाल`सैनिको`को अग्निवीर कहा जाएगा वहीं। केवल 25 फीसदी को ही अगले 15 वर्षों के लिए दोबारा सेवा में रखा जाएगा जबकि 75 प्रतिशत जवानों को सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की भर्ती में वरीयता दी जाएगी। पढ़ने और कारोबार करने के इच्छुक 'अग्निवीरों' को सरकार सर्टिफिकेट एवं वित्तीय मदद उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय सहित कई राज्यों ने कहा है कि वे अपने बलों की भर्ती में 'अग्निवीरों' को वरीयता देंगे। इसके बावजूद इस योजना के खिलाफ इस योजना को लेकर मिथ/भ्रांतियां फैल रहे हैं । हम निम्न बिन्दओं के द्वारा 'अग्निपथ' योजना से जुडी भ्रांतियां दूर कर सकते हैं ।

भ्रांति - 'अग्निवीरों' का भविष्य असुरक्षित है:

तथ्य - सेना से रिटायर होने के बाद ऐसे 'अग्निवीर' जो कारोबार शुरू करना चाहेंगे उन्हें वित्तीय मदद दी जाएगी। उन्हें बैंक लोन भी मिलेगा। ऐसे 'अग्निवीर' जो आगे पढ़ाई करना चाहेंगे उन्हें 12वीं कक्षा के बराबर का सर्टिफिकेट एवं ब्रिजिंग कोर्स जाएगा। इन्हें सीएपीएफ एवं राज्यों की पुलिस की भर्ती में वरीयता दी जाएगी। सरकार के अन्य उपक्रमों में भी इन्हें समायोजित किया जाएगा।

भ्रांति - 'अग्निपथ' योजना की वजह से युवाओं के लिए सेना में अवसर कम होंगे:

तथ्य - दरअसल इस योजना से सेना में युवाओं के लिए अवसर कम नहीं बल्कि बढ़ेंगे। आने वाले वर्षों में सेना में 'अग्निवीरों' की भर्ती मौजूदा समय से करीब तीन गुना बढ़ जाएगी।

भ्रांति - रेजिमेंट से जुड़ाव कमजोर होगा:

तथ्य - सेना के रेजिमेंटल व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। वास्तव में 'अग्निवीरों' के आने से रेजिमेंट की भावना और बढ़ेगी क्योंकि इसमें सर्वोत्तम जवान चुने जाएंगे।

भ्रांति - 'अग्निवीरों' से सशस्त्र बलों की क्षमता प्रभावित होगी:

तथ्य - सेना में इस तरह की सीमित सेवा की व्यवस्था ज्यादातर देशों में है। इस व्यवस्था को पहले से ही परखा जा चुका है। बूढ़ी होती सेना एवं युवाओं के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था माना जाता है। पहले साल भर्ती होने वाले 'अग्निवीरों' की संख्या सशस्त्र सेनाओं की संख्या की मात्र 3 फीसदी होगी।

भ्रांति - 21 साल के जवान नादान एवं सेना के लिए भरोसेमंद नहीं होंगे:

तथ्य - दुनिया की ज्यादातर सेनाएं अपने युवा जवानों पर निर्भर हैं। सेना में युवा जवानों की संख्या अनुभवी सैनिकों से ज्यादा हो जाए, ऐसा कभी समय नहीं आएगा। इस योजना के तहत धीरे-धीरे 'अग्निवीरों' की संख्या बढ़ाई जाएगी वह भी अनुभवी सैनिकों की तादाद को देखते हुए।

भ्रांति - समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं 'अग्निवीर', आतंकवादी बन सकते है:

तथ्य - ऐसी सोच भारतीय सेना के मूल्यों एवं परंपरा के खिलाफ है। एक बार सेना की वर्दी पहन चुके युवा हमेशा देश और समाज के प्रति वफादार रहेंगे। सशस्त्र सेनाओं से हर साल हजारो लोग रिटायर होते हैं, उनके पास कौशल होता है, वह देशविरोधी गतिविधियों में शामिल हुए हों, ऐसा एक भी मामला नहीं आया है।

भ्रांति - 'अग्निपथ' योजना के बारे में सशस्त्र सेनाओं के पूर्व अधिकारियों से सलाह-मशविरा नहीं किया गया:

तथ्य - बीते दो सालों में सशस्त्र सेनाओं में सेवारत अधिकारियों से इस योजना पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ है। इस योजना का प्रस्ताव डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स के अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया है। इस विभाग को सरकार ने ही बनाया है। सशस्त्र बलों के पूर्व अधिकारियों ने इस योजना के लाभों को स्वीकार और इसका स्वागत किया है।

अतिरिक्त सकारात्मक तथ्य:

- गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों को सेवामुक्ति के बाद केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स की भर्ती में वरीयता देने का फैसला किया है।
- देश के अहम सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि यूपी सरकार, पुलिस और दूसरी सेवाओं में अग्निवीर की सेवा दे चुके युवाओं को प्राथमिकता देगी।
- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि युवाओं को राज्य पुलिस के रिक्रूटमेंट में प्राथमिकता मिलेगी ।
- पूर्वोत्तर राज्य असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा- युवाओं को असम आरोग्य निधि पहल में वरीयता मिलेगी।

इस प्रकर उपरोक्त तथ्यों को जांचकर हमे इस विषय पर अपनी राय बनानी चाहिए और सरकार को इसे लागू करने पर धैर्य का परिचय देना चाहिए। ❑❑❑

भगवान की प्रतिज्ञा

श्रीमती ममता पात्र
पत्नी - श्री बिनोद चंद्र पात्र,
कर सहायक

मेरे मार्ग पर पैर रख कर तो देख,
तेरे सब मार्ग न खोल दूं तो कहना।

मेरे लिए खर्च करके दो देख,
कुबेर का भंडार न खोल दूं तो कहना।

मेरे लिए कड़वे वचन सुन कर तो देख,
कृपा न बरसा दूं तो कहना।

मेरी तरफ आकर तो देख,
तेरा ध्यान न रखूं तो कहना।

मेरी बातें लोगों से करके तो देख,
तुझे मूल्यवान ना बना दूं तो कहना।

मेरे चरित्रों का मनन कर के तो देख,
ज्ञान के मोती तुझमें ना भर दूं तो कहना।

मुझे अपना मददगार बना के तो देख,
तुझे सबकी गुलामी से न छुड़ा दूं तो कहना।

मेरे लिए आँसू बहा कर तो देख,
तूझे कीमती न बना दूं तो कहना।

मेरे लिए कुछ बन के तो देख,
तेरे जीवन में आनंद का सागर न बना दूं तो कहना।

मेरे मार्ग पर निकल के तो देख,
तुझे शांतिदूत न बना दूं तो कहना।

स्वयं को मुझ पर न्योछावर करके तो देख,
तुझे मशहूर न करा दूं तो कहना।

तू मेरा बन के तो देख,
हर एक को तेरा न बना दूं तो कहना।। ❑❑❑

मंजिल की ओर

श्री दोलगोबिंद पलाई
अधीक्षक

जिंदगी की जंग में हमेशा,
पकड़ो तुम दृढ़ निश्चय की डोर।
दाएं-बाएं मत देखना तुम
नजरें हमेशा रखो मंजिल की ओर।

सच्चाई का साथ देता,
ईमानदारी को हाथ देता,
कभी भी किसी बुराई की ओर
चांद को पाने की लालसा में,
जहाँ रहता है कोई चकोर,
उड़ता है पूरी ताकत से,
देखता नहीं धरती की ओर।

आत्मविश्वास को प्रकट करो तुम,
मंजिल को पार करो तुम,
सत्य के प्रकाश में,
अपने लक्ष्य की आशा में,
बढ़ेंगे हर कदम तुम्हारे,
अपने आप मंजिल की ओर।

❑❑❑

स्वरोजगार - आज की माँग

श्री रंजीत कुमार
अधीक्षक

मैं अपना नाम सुनकर थोड़ा अचंभित हुआ। इस भीड़ भरे साप्ताहिक मेले में कौन मुझे पुकार सकता है ? शायद कोई दूसरा व्यक्ति भी मेरा नाम वाला हो। लेकिन जब मुड़कर देखा तो मालूम चला वह मुझे ही बुला रहा था। लालू ही था वो, थोड़ी ही देर में पहचान लिया मैंने। शरीर पहले से पतला हो गया था, साथ-ही-साथ, रूप -रंग में काफी बदलाव आ चुका था। गाँव में ही रहकर खेती और जानवरों की देखभाल करता था। बचपन में हम उसे ललुआ भी कहते थे। पढ़ाई से ज्यादा उसे जानवरों से प्यार था। शायद इसलिए घर वालों ने उसे लालू नाम दे दिया था। जैसे-तैसे वह मैट्रिक की परीक्षा दे पाया फिर वो खेता-बाड़ी में रम गया। गाँव जाने पर यदा-कदा सलाम-नमस्ते हो जाती थी।

मुझे बुलाने के बाद वह एक सब्जी- फल के दुकान के पास रूका जहाँ बहुत सारे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, टमाटर, खीरा, इत्यादि का ढ़ेर लगा था। आगे बोला ये दुकान मैंने लगाया है। साथ-ही-साथ हर रोज गाँव के चौराहे पर भी लगाता हूँ। उसके कहने पर उसके आदमी 4-5 तरबूज,खरबूजा तथा दो-तीन थैले में ककड़ी,खीरा, टमाटर आदि सारे सामान भर के मेरे हाथ में थमा दिए। मैं कुछ समझ पाता इसके पहले ही बोला कि ले जाइए घर में, मुझे मालूम चला कि भाभी और बच्चे भी साथ में आए हैं। मैं जेब से पैसे निकाल ही रहा था तभी वो मेरा हाथ पकड़करबोला आप कभी-कभार मिलने पर मुझे इज्जत देकर बात कर लेते हैं, वही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। गाँव के कितने ही लोग शहर में नौकरी और बिजनेश कर रहे हैं, पर वो मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करते। शायद इसकी वजह मेरा खेती करना है। इतना कहते-कहते वह रूआँसा हो गया। आगे बोला, शायद मैं भी कोई छोटी-बड़ी नौकरी करता या खेती छोड़कर कोई दूसरा धंधा करता तो मुझे भी लोग इज्जत देते।

मैं उसके अंदर की आहत भावना को अच्छी तरह से भाँप चुका था। वह फिर बोला कि पहले तो सिर्फ धान, गेहूँ, चना, सरसों इत्यादि की परंपरागत खेती करता था तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं था लेकिन इसमें लाभ ज्यादा नहीं होता है। परंतु जब से तरबूज, ककड़ी, खीरा, टमाटर आदि व्यवसायिक खेती करने लगा तो दिक्कत होने लगा क्योंकि लोगों के नजर में यह छोटा काम है। गाँव, समाज में लोग इसे छोटे लोगों का काम समझते हैं। मुझे उसकी बातों का भावार्थ मालूम हो गया था। मैंने उसे ढांढस बंधाया और पूछा, तुम्हारा खेत कहाँ है, जहां इतने सारे अच्छे फल औऱ सब्जियों की खेती करते हो। मैं वो सारे खेत देखना चाहता हूँ।

अगले दिन जब उसके खेत पर पहुँचा तो देखा कि पांच-छः खेतों में फल-सब्जी लगाएं हुए हैं। तीन आदमी खेतों की सफाई में लगे हैं तथा तीन लोग फल-सब्जियों को तोड़ रहे हैं तथा वो खेत के किनारे बैठ कर खीरा खा रहा है। साथ-ही-साथ कामगारों को निर्देश दे रहा है।

मुझे देखकर वो बहुत खुश हुआ तथा मुझे भी ताजी ककड़ी खाने को दिया। बातों ही बातों में वो बोला, अगर आपके जैसा कुछ और लोग भई इसी तरह आते-जाते रहे और हाल-चाल पूछ लिया करं तो मुझे भी इस काम को करने में कोई झिझक नहीं होगी तथा समाज के लोग भी इसे इज्जत भरी नजरों से देखने लगेंगे।

मैंने कहा, कि तुम जो स्वरोजगार में लगे रहने के साथ-साथ छह लोगों का रोजगार सृजन कर रहे हो, हमारी नौकरी से सैकड़ो गुणा अधिक इज्जतदार है। तुम अपना काम इस तरह बढ़ाते जाओ क्योंकि आज का समय इसी की माँग कर रहा है, जो आगे चलकर हमारे राष्ट्र को और अधिक ताकतवर, स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भऱ बनाने में अहम योगदान देगा। ❑❑❑

गुणों की धारणा ही सच्चा श्रृंगार है

श्रीमती ममता पात्र
पत्नी - श्री बिनोद चंद्र पात्र,
कर सहायक

एक साधु नदी किनारे, धोबी के कपड़े धोने के एक पत्थर पर खड़े-खड़े ध्यान करने लगे। इतने में धोबी गधे पर कपड़े लादे वहाँ आया। उसने साधु को देखा तो प्रतीक्षा करने लगा कि धुलाई के पत्थर से साधु हटे और वह अपना काम शुरू करे। कुछ देर प्रतीक्षा करने पर भी जब साधु नहीं हटे तो उसने प्रार्थना की, महात्मा जी, आप पत्थर से हटकर खड़े हो जाएं तो मैं अपने काम में लगूँ। धोबी की बात साधु ने अनसुनी कर दी।

धोबी ने फिर से प्रार्थना की, किन्तु साधु ने इस बार भी ध्यान नहीं दिया। अब धोबी ने साधु का हाथ पकड़कर धीरे से उन्हें पत्थर से उतारने की कोशिश की। धोबी द्वारा हाथ पकड़े जाने पर साधु को अपमान महसूस हुआ। उन्होंने धोबी को धक्का दे दिया। साधु का क्रोध देखकर धोबी की श्रद्धा भी समाप्त हो गई। उसने भी साधु को धक्का देकर पत्थर से हटा दिया।

अब तो साधु और धोबी आपस में भिड़ गए। धोबी बलवान था, अतः उसने साधु को उठाकर फेंक दिया। साधु भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैं इतने भक्ति-भाव से रोज आपकी पूजा करता हूँ, फिर भी आप मुझे इस धोबी से छुड़ाते क्यों नहीं ? जवाब में साधु ने आकाशवाणी सुनी, तुम्हें हम छुड़ाना चाहते हैं किंतु समझ में नहीं आता कि दोनों में साधु कौन है और धोबी कौन ? यह सुनकर

साधु का घमंड चूर हो गया। उसने धोबी से क्षमा माँगी और सच्चा साधु बन गया।

दरअसल, वेश धारण करने से नहीं बल्कि सदगुणों को आचरण में उतारने से साधुता आती है। धन से संपन्न होना तो सरल एवं सहज है लेकिन गुणों से संपन्न और अच्छाइयों एवं गुणों को ग्रहण करने में अपने आपको कमजोर समझते हैं और इस कमजोरी के कारण गुणों को देखने के स्थान पर दूसरों के दोष देखने लगते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति अपनी कमी-कमजोरी छिपाने के लिए दूसरों की कमी को देखते हैं। ❑❑❑

वतन की मोहब्बत में खुद को तपाये बैठे है मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाये बैठे है।

कड़वा फल

श्रीकृष्ण और सुदामा का प्रेम जितना गहरा था, उतनी ही अद्‌त दोनों की दोस्ती थी। श्रीकृष्ण कहीं भी जाते थे, अपने दोस्त सुदामा को अपने साथ जरूर ले जाते थे। एक दिन दोनों जंगल गए और रास्ता भटक गए। दोनों काफी देर से भूखे थे। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर सिर्फ एक ही फल लगा था। श्रीकृष्ण ने फल तोड़कर उसके छह टुकड़े कर दिए। उन्होंने पहले सुदामा को एक टुकड़ा खाने को दिया। सुदामा ने खाते ही कहा, "यह तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे एक और टुकड़ा खाने को दीजिए।" श्रीकृष्ण ने दूसरा टुकड़ा भी सुदामा को दे दिया। एक-एक करके सुदामा ने पाँच टुकड़े खा लिए। अब सिर्फ फल का एक ही टुकड़ा बचा रह गया था। जैसे ही सुदामा ने आखिरी टुकड़ा माँगा तो श्रीकृष्ण ने कहा, " मैं भी तो भूखा हूँ। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, पर क्या तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं ?" इतना कहकर श्रीकृष्ण ने फल का आखिरी टुकड़ा अपने मुँह में रख लिया। फल इतना कड़वा था कि उन्होंने तुरंत ही थूक दिया। श्रीकृष्ण बोले, " सुदामा, तुमने इतना कड़वा फल कैसे खाया ?" तब सुदामा ने कहा, " आपके हाथों से तो हमेशा मीठे ही फल खाए हैं। क्या हुआ जो एक बार कड़वे फल खा लिए। इतनी सी बात की शिकायत मैं आपसे कैसे करता। मुझे तो आपके हाथों से प्राप्त कड़वे फल भी खाने में बहुत मीठे लगे। मैं सब टुकड़े एक-एक करके इसलिए खाता गया, ताकि आपको खाने में कड़वा न लगे।"

उपरोक्त प्रकरण से यही शिक्षा मिलती है कि अगर दोस्तों में शिकायत की जगह है तो समझें कि दोस्ती अधूरी है। एक दोस्त में अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, अच्छा व्यवहार होना परम आवश्यक है। ❑❑❑

संस्कारी जी

धर्मवीर कुमार
अधीक्षक, झारसुगुड़ा

घर-समाज से पाये 'संस्कार' की वजह से 'संस्कारीजी' अगर दिन में पाँच बार भी माँ-बाप को फ़ोन करते तो पाँचों बार अभिवादन में प्रणाम कहके ही बात चीत शुरू करते थे। रोजी-रोटी के लिए वे घर से बाहर रह रहे थे। उन्हें, इधर कुछ दिनों से महसूस हो रहा था या घरेलू मामलों के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा उन्हें महसूस करवाया जाने लगा कि उनकी माँ उन के साथ सही व्यवहार नहीं कर रही है। वह अपने साथ रह रहे अन्य दो बेटों के हित के लिए पक्षपात कर रही है।

'संस्कारीजी' के मन में माँ के लिए गुस्सा भर गया था या भर दिया गया था सो उन्होंने फ़ोन करके माँ को भला बुरा सुनाने का निश्चय किया। माँ ने फ़ोन उठाया। 'संस्कारीजी' भले ही गुस्से में थे लेकिन अभिवादन करना नहीं भूले। यह अलग बात थी कि गुस्से से भरे संस्कारीजी के मुँह से निकला 'प्रणाम', अभिवादन कम शब्दों की लाठी ज्यादा लग रहा था।

माँ ने उनके शब्दों से उनके मनोभावों को समझा फिर भी उधर से बोली- "खुश रहो बेटा"।

'संस्कारी जी' ने इधर से तमतमाते हुए कहा - "आपने खुश रहने दिया ही कहाँ जो खुश रहूँगा."

माँ ने कहा- "ऐसा क्यूँ बोल रहे हो? तुमने प्रणाम किया तो आशीर्वाद तो दूंगी ना?"

'संस्कारीजी' ने आगे कहा- "आप भले ही अपना फर्ज न निभाएं, मैं तो अपना संस्कार नहीं भूल सकता न; सो अपने संस्कार के कारण "प्रणाम" किया नहीं तो ...."

माँ अपने बेटे के इस महान 'संस्कार', लठ मार प्रणाम को अनुभव कर रही थी और उस 'संस्कार' के बोझ से वह दबी जा रही थी। ❑❑❑

श्रीमती गीता रानी साहू
अधीक्षक

एक क्षण

एक क्षण ऐसा मिल जाता है
अकारण ही सबकुछ बहुत ही प्यारा लगता है।

अचानक मन में असुमार बुलबुले
आनंद की है उमड़ती
आहट सुनाई देती अंदर से
कोई गुनगुनाती।

जब ध्यान से देखा तो कोई नहीं
ऊपर का दलदल हटाया तो जैसे साफ पानी
दर्पण से हटे मैल तो
जैसे साफ प्रतिबिंब अपनी।

कैसे अक्सर हवा से हट जाए बादल
दृश्य होता नील आसमान की झलक
ऊपर इतनी अशांत लहरें
फिर भी शांत गहराई में सागर।

किसी पुण्य से अगर एक क्षण
शांत हो जाए मन की बड़बड़ाहट
उभरते हैं जो असुमार आनंद
यही है क्या अनादी चिरंतन ?

कभी-कभी बिना ही कारण
लगता बहुत ही प्यारा
ये मन, ये रिश्ते
ये धरती और ये आसमान।।

❑❑❑

अनमोल पल

कभी-कभी क्यूं इतना अच्छा लगता है
ना बादल,
ना है बरसात,
पर मन में बसंत बहार।

कभी-कभी रिश्ते
लगते हैं बड़े प्यारे
अलग कुछ एहसास भी नहीं
लगते हैं पर न्यारे।

कभी-कभी मन में छा जाती है
अजब सी शांति
बाहर जितना भी शोर हो
अंदर है अजीब सी चुप्पी।

ना दिल को छू जाती है किसी का प्यार
ना अपनापन ना कोई उपहार
दुनिया के दुख – यातना से बेखबर
बस जैसे गहराई में शांत सरोवर।

❑❑❑

ग़ज़ल

मो. शम्स रज़ा
अधीक्षक
सीमा शुल्क मंडल, पारादीप

वो तेरा रोज ख्वाबों में आना
खुद भी जगना हमें भी जगाना
नाम लेकर मेरा रूठ जाना
अपनी आँखों को हर दम रुलाना
ये उल्फत नहीं है तो क्या है?
ये मुहब्बत नहीं है तो क्या है?

मेरी यादों से घर को सजाना
मेरी राहों में पलके बिछाना
मेरे जख्मों को अपना बताना
अपने जख्मों को मुझ से छुपाना
ये उल्फत नहीं है तो क्या है ?
ये मुहब्बत नहीं है तो क्या है ?

हर घडी अपने जी को जलाना
देख कर मुझ को नजरें चुराना
खुद न सोना हमें भी जगाना
सारी हस्ती में मुझ को ही पाना
ये उल्फत नहीं है तो क्या है ?
ये मुहब्बत नहीं है तो क्या है ?

आँखों आँखों में बिजली गिराना
बादलों पे भी जादू चलाना
बारिशों को भी हैरत में लाना
हर घड़ी ऐसे मौसम बनाना
ये उल्फत नहीं है तो क्या है ?
ये मुहब्बत नहीं है तो क्या है ?

वो तेरा प्यार से घूँघट उठाना
अपने होंठों से पल्लू दबाना
अपनी बाहों का घेरा बनाना
मुझ को पाकर गले से लगाना
ये उल्फत नहीं है तो क्या है ?
ये मुहब्बत नहीं है तो क्या है ? ❑❑❑

एड-डी-कैंप (एडीसी) – भारत

श्री सौरभ रॉय चौधरी
कर सहायक

एड-डी-कैंप (aide-de-camp) क्या है?

- परिभाषा के अनुसार, एक **एड-डी-कैंप** उच्च पद के व्यक्ति के लिए एक निजी सहायक या सचिव होता है, आमतौर पर एक वरिष्ठ सैन्य, पुलिस, या सरकारी अधिकारी, या शाही परिवार के सदस्य या राज्य के मुखिया के लिए।
- एडीसी एक मानद पद है जिसे **रैंक ऑफ ऑनर** के रूप में भी जाना जाता है और इस पद के लिए सेना, नौसेना और वायु सेना से आंतरिक आधार पर चयन किया जाता है।
- एडीसी को सशस्त्र बलों में पांच से सात साल का अनुभव होना चाहिए।
- उम्मीदवार के पेशेवर प्रदर्शन और अंतिम साक्षात्कार के दौर के आधार पर चयन किया जाता है।
- एडीसी के रूप में कैप्टन, मेजर ऑफ आर्मी और नौसेना और वायु सेना के समकक्ष पद से चयन किया जाता है।
- एडीसी का कार्यकाल 2 से 3 साल का होता है।

एड-डी-कैंप - कर्तव्य और जिम्मेदारियां

एड -डी-कैंप के कई तरह के कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं। एडीसी द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की सूची यहां दी गई है:

1. सबसे पहले, राष्ट्रपति/गवर्नर/जनरल के लिए सुरक्षा प्रदान करना।
2. दूसरा, राष्ट्रपति/गवर्नर/जनरल के महत्वपूर्ण समय को बचाने के लिए रूटिंग गतिविधियों का प्रदर्शन करना।
3. यात्रा कार्यक्रम तैयार करना।
4. कैलेंडर और शेड्यूल तैयार करना और व्यवस्थित करना।
5. प्रोटोकॉल गतिविधियों का समन्वय करना।
6. अतिरिक्त स्टाफ सदस्यों का पर्यवेक्षण एक एडीसी द्वारा किया जाता है।
7. अध्यक्ष/राज्यपाल/सामान्य अधिकारी की इच्छा के अनुसार विविध कर्तव्यों का पालन करना।
8. अन्य कार्यों में ईमेल प्रबंधन, पत्राचार तैयार करना और समीक्षा करना, सामाजिक कार्यों में सहायता करना, यात्रा की योजना बनाना, आगंतुकों का अभिवादन करना, बारटेंडर, सचिव, राजनयिक, कैटरर, लेखक, मैप रीडर, माइंड रीडर, पदोन्नति और वाहन समर्थन शामिल हैं।

भारत के राष्ट्रपति को एड-डी-कैंप:-

1. भारत के राष्ट्रपति के पास पांच एड-डी-कैंप हैं। पांच एडीसी में शामिल हैं: सबसे पहले, तीन भारतीय सेना से हैं, नौसेना से एक, भारत की वायु सेना से एक।
2. प्रादेशिक सेना से एक मानद एड-डी-कैंप भी है।
3. राष्ट्रपति अपनी मर्जी से सेना प्रमुखों सहित सशस्त्र बलों के किसी भी प्रतिष्ठित अधिकारी को मानद एड-डी-कैंप के रूप में नियुक्त कर सकता है।
4. थल सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुखों के पास आमतौर पर तीन एड-डी-कैंप होते हैं जिन्हें उनके मूल विभागों से चुना जाता है।
5. राज्यों के राज्यपालों के दो एड-डी-कैंप होते हैं, जिनमें से प्रत्येक तीन सशस्त्र बलों में से एक होता है और दूसरा स्थानीय पुलिस बलों से होता है।

6. जम्मू और कश्मीर में राज्यपालों के दोनों एड-डी-कैंप सेना से नियुक्त किए जाते हैं।
7. यह हमारे लिए बहुत गर्व का क्षण है कि अब सशस्त्र बलों की महिला अधिकारियों को भी एडीसी के रूप में चुना गया है।

आज़ादी के आंदोलन के इतिहास की तरह ही आज़ादी के बाद के 75 वर्षों की यात्रा, सामान्य भारतीयों के परिश्रम, इनोवेशन, उद्यम-शीलता का प्रतिबिंब है। हम भारतीय चाहे देश में रहे हों, या फिर विदेश में, हमने अपनी मेहनत से खुद को साबित किया है। हमें गर्व है हमारे संविधान पर। हमें गर्व है हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं पर। लोकतंत्र की जननी भारत, आज भी लोकतंत्र को मजबूती देते हुए आगे बढ़ रहा है। ज्ञान-विज्ञान से समृद्ध भारत, आज मंगल से लेकर चंद्रमा तक अपनी छाप छोड़ रहा है।

- श्री नरेन्द्र मोदी
भारत के प्रधान मंत्री

कफ़न तो हर एक के नसीब में है,जो तिरंगे में लिपटे वो खुशनसीब है।

आइकोनिक सप्ताह समारोह

वित्त मंत्रालय द्वारा 06 जून से 12 जून 2022 तक आइकोनिक सप्ताह (iconic week) के रूप में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। आइकोनिक सप्ताह का उद्घाटन समारोह विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुआ। इस कार्यक्रम में एक डिजिटल प्रदर्शनी भी शामिल की गई। डिजिटल प्रदर्शनी के साथ यह कार्यक्रम 06.06.2022 को सुबह 10.00 बजे आयोजित किया गया। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने वित्त मंत्री जी की उपस्थिति में वित्त मंत्रालय के आइकोनिक सप्ताह का उद्घाटन किया, जिसे सीधा प्रसारण के माध्यम से भुवनेश्वर सहित देश के 75 शहरों में देखा गया।

ସିବିଆଇସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆଇକନିକ୍ ସପ୍ତାହର ଶୁଭାରମ୍ଭ

ଭୁବନେଶ୍ୱର(ଇସ୍ଟର ନ୍ୟୁଜ୍): କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓ କର୍ପୋରେଟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବର ଅଂଶ ସ୍ୱରପ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ଓ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ବୋର୍ଡ (ସିବିଆଇସି), ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆଇକନିକ୍ ସପ୍ତାହର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଯାହା ୨୦୨୨ ଜୁନ୍ ୬ରୁ ୧୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର ଓ ସୀମା ଶୁଳ୍କର ମୁଖ୍ୟ କମିସନର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋନ୍‌ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଇଡ୍‌କଲ୍ ଅଡିଟୋରିୟମ୍‌ରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଆୟକର ଆୟୁକ୍ତ ୱାଇ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ଆୟକର ଆୟୁକ୍ତ ଫଗୁ ଓରାମ, ଅଡିଟ୍ କମିସନରେଟ୍‌ର ପ୍ରମୁଖ କମିସନର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି କେ କର, କମିସନର

ଅପିଲ୍ (ଜିଏସ୍‌ଟି ଓ କଷ୍ଟମ୍‌ସ) ଅରବିନ୍ଦର ସିଂହ ରଙ୍ଗା, କମିସନ (ସିଟି ଓ ଜିଏସ୍‌ଟି) ସୁଶିଲ କୁମାର ଲୋହାନି, ଅତିରିକ୍ତ କମିସନର (ସିଜିଏସ୍‌ଟି ଓ ସେଂଟ୍ରାଲ୍ ଏକ୍ସାଇଜ୍) ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପତି, ପିଆର ଏଡିଜି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ, ଅତିରିକ୍ତ କମିସନର ଅନୁରାଧା ମିଶ୍ର ଓ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଏନ୍‌ଏସିଆଇଏନ୍‌ର ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦେଶକ ଏଲ୍‌ପେଟୁ ସେସୁ ଓ ପଙ୍କଜ କୁମାର ମୀନା ଏବଂ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କର ଜିଏମ୍ ଅରୁପାନନ୍ଦ ଜେନା ଓ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ବିସି ଇନ୍‌ଚାର୍ଜ ଲିଙ୍ଗରାଜ ନାୟକ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ବରୋଦାର ଆଂଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ରାଜୀବ କ୍ରିଷ୍ଣ, ଏଚ୍‌ଡିଏଫ୍‌ସି ବ୍ୟାଙ୍କର ଦେବବ୍ରତ, ଫେଡେରାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏମ୍ ହୁସେନ, ଆଇଡିଏଫ୍‌ସି ଫାଷ୍ଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡିବିଏମ୍ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସୁମନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଉଜ୍ଜୀବନ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା, ୟୁନିଅନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଶଙ୍କର ହେମ୍ବ୍ରମ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଶୋକ ଜେନା ଓ ଆରବିଏମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଏସ୍ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାପନ ଭବନରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଇକନିକ୍ ସପ୍ତାହ ପାଳନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ୭୫ଟି ସହରରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥି ସହିତ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରେ ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର ଓ ସୀମା ଶୁଳ୍କର ମୁଖ୍ୟ କମିସନର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ।

ভুবনেশ্বর জোন্ পক্ষরু আইকনিক্ সপ্তাহর শুভারম্ভ

ভুবনেশ্বর(ব্যুরো) : কেন্দ্র সরকারঙ্କ অর্থ মন্ত্রালয় ও কর্পোরেট ব্যাপার মন্ত্রালয় পক্ষরু পালন করাযাউথিবা আজাদী কা অমৃত মহোত্সবর অংশ স্বরপ কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর ও সীমা শুল্ক বোর্ড (সিবিআইসি), ভুবনেশ্বর জোন্ পক্ষরু আইকনিক্ সপ্তাহর শুভারম্ভ করাযাইছি যাহা ২০২২ জুন্ ৬রু ১২ তারিখ পর্য্যন্ত জারি রহিব। এনেই আজি কেন্দ্রীয় কর ও সীমা শুল্কর মুখ্য কমিসনর, ভুবনেশ্বর জোন্‌ঙ্କ পক্ষরু ইড্‌কল্ অডিটোরিয়ম্‌রে এক কার্য্যক্রম আয়োজন করাযাইথিল। এহি অবসররে অতিথি ভাবে উপস্থিত থিলে ওড়িশা অংচলর প্রধান মুখ্য আয়কর আয়ুক্ত ୱାଇ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, আয়কর আয়ুক্ত ফগু ওরাম, অডিট্ কমিসনরেট্‌র প্রমুখ কমিসনর, ভুবনেশ্বর বি কে কর, কমিসনর অপিল্ (জিএস্‌টি ও কষ্টমস্) অরবিন্দর সিংহ রঙ্গা, কমিসন (সিটি ও জিএস্‌টি) সুশিল কুমার লোহানি, অতিরিক্ত কমিসনর (সিজিএস্‌টি ও সেংট্রাল্ এক্সাইজ) গোপাল কৃষ্ণ পতি, পিআর এডিজি রাজেন্দ্র সিংহ, অতিরিক্ত কমিসনর অনুরাধা মিশ্র ও মাধব চন্দ্র মিশ্র, এন্‌এসিআইএন্‌র অতিরিক্ত নির্দেশক এল্‌পেটু সেসু ও পঙ্কন কুমার মীনা এবং য়ুকো ব্যাঙ্কর জিএম্ অরুপানন্দ জেনা ও এস্‌এল্‌বিসি ইন্‌চার্জ লিঙ্গরাজ নায়ক। অন্যতম অতিথি ভাবে ব্যাঙ্ক অফ বরোদার আংচলিক মুখ্য রাজীব ক্রিষ্ণ, এচ্‌ডিএফ্‌সি ব্যাঙ্কর দেবব্রত, ফেডেরাল্ ব্যাঙ্কর এম্ হুসেন, আইডিএফ্‌সি ফাষ্ট্ ব্যাঙ্কর ডিবিএম্ বিভু প্রসাদ আচার্য্য, সুমন চক্রবর্ত্তী, উজ্জীবন ব্যাঙ্কর সুশান্ত বেহেরা, য়ুনিঅন ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিআর শঙ্কর হেম্ব্রম্, ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিআর অশোক জেনা ও আরবিএম্ ব্যাঙ্কর রাজ্য মুখ্য এস্ মিশ্র প্রমুখ উপস্থিত থিলে।

75 साल हुए आजादी को चलो आज फिर एकता दिखाते हैं, मिलकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं।

CBIT &C Bhubaneswar zone launches Iconic week

BHUBANESWAR: As part of the Azadi ka Amrit Mahotsav celebration of the Ministry of Finance and Ministry of Corporate Affairs, Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), Bhubaneswar zone Monday launched a week-long 'Iconic Week.'

Chief Commissioner of Central Tax and Customs, Bhubaneswar Zone inaugurated the programme in the

presence of Principal Chief Income Tax Commissioner, Odisha region Y Rajendra, Commissioner of income tax Phaga Otam, Principal Commissioner, Audit commissionerate, Bhubaneswar BK Kar, Commissioner Appeal GST and Customs Arvinder Singh Ranga, Commissioner (CT and GST) Sushil Kumar Lohani, Additional Commissioner (CGST and Central Excise Gopal Krishna Pati, Pr ADG Rajendra Singh, Additional commissioner Anuradha Mishra and Madhav Chandra Mishra, Assistant Director of NACIN Elpetu Seshu and Pawan Kumar Meena, Uco Bank GM Arupananda Jena and In-charge, SLBC Lingaraj Nayak.

Various programmes will be held during the 'Iconic Week' including video on 'Rupaya ka Rochak Safar' in Hindi, launch of circulation coin with AKAM Design, launch of national portal-Jan Samarth on credit linked government schemes, Video Mayiree in Hindi and video pledge and re-dedication.

Azadi Ka Amrit Mahotsav is an initiative of the Government of India to celebrate and commemorate 75 years of independence and the glorious history of its people, culture and achievements.

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ଓ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ବୋର୍ଡ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆଇକନିକ୍ ସପ୍ତାହର ଶୁଭାରମ୍ଭ

ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବର ଏହା ଏକ ଅଂଶ ଯାହା ଜୁନ୍ ୬-୧୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୬।୬ (ନି.ପ୍ର) : କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓ କର୍ପୋରେଟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବର ଅଂଶ ସ୍ୱରପ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ଓ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ବୋର୍ଡ (ସିବିଆଇସି), ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆଇକନିକ୍ ସପ୍ତାହର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଯାହା ୨୦୨୨ ଜୁନ୍ ୬ରୁ ୧୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଏନେଇ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର ଓ ସୀମା ଶୁଳ୍କର ମୁଖ୍ୟ କମିସନର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋନ୍‌ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଇଡ୍‌କଲ୍ ଅଡିଟୋରିୟମ୍‌ରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଅଂଚଳର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଆୟକର ଆୟୁକ୍ତ ୱାଇ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ଆୟକର ଆୟୁକ୍ତ ଫଗୁ ଓରାମ, ଅଡିଟ୍ କମିସନରେଟ୍‌ର ପ୍ରମୁଖ କମିସନର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି କେ କର, କମିସନର ଅପିଲ୍ (ଜିଏସ୍‌ଟି ଓ କଷ୍ଟମ୍‌ସ) ଅରବିନ୍ଦର ସିଂହ ରଙ୍ଗା, କମିସନ (ସିଟି ଓ ଜିଏସ୍‌ଟି) ସୁଶିଲ କୁମାର ଲୋହାନି, ଅତିରିକ୍ତ କମିସନର (ସିଜିଏସ୍‌ଟି ଓ ସେଂଟ୍ରାଲ୍ ଏକ୍ସାଇଜ୍) ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପତି, ପିଆର ଏଡିଜି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ, ଅତିରିକ୍ତ କମିସନର ଅନୁରାଧା ମିଶ୍ର ଓ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଏନ୍‌ଏସିଆଇଏନ୍‌ର ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦେଶକ ଏଲ୍‌ପେଟୁ ସେସୁ ଓ ପଙ୍କଜ କୁମାର ମୀନା ଏବଂ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କର ଜିଏମ୍ ଅରୁପାନନ୍ଦ ଜେନା ଓ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ବିସି ଇନ୍‌ଚାର୍ଜ ଲିଙ୍ଗରାଜ ନାୟକ।

ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ବରୋଦାର ଆଂଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ରାଜୀବ କୃଷ୍ଣ, ଏଚ୍‌ଡିଏଫ୍‌ସି ବ୍ୟାଙ୍କର ଦେବବ୍ରତ, ଫେଡେରାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏମ୍ ହୁସେନ, ଆଇଡିଏଫ୍‌ସି ଫାଷ୍ଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ବିବିଏମ୍ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସୁମନ ଚକ୍ରବର୍ତୀ, ଉତ୍ତାବନ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା, ୟୁନିଅନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଶଙ୍କର ହେମ୍ବ୍ରମ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଶୋକ ଜେନା ଓ ଆରବିଏମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଏସ୍ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଆଜି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାପନ ଭବନରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଇକନିକ୍ ସପ୍ତାହ ପାଳନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ୭୫ଟି ସହରରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥି ସହିତ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରେ ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର ଓ ସୀମା ଶୁଳ୍କର ମୁଖ୍ୟ କମିସନର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋନ୍ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ଆଇକନିକ୍ ସପ୍ତାହରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେଥିରେ ସାମିଲ ରହିଛି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ "ରୁପେୟା କା ରୋଚକ ସଫର'ର ଭିଡିଓ ଉନ୍ମୋଚନ, ଏକେଏଏମ୍ ଡିଜାଇନ୍‌ର କଏନ୍‌ର ଉନ୍ମୋଚନ, କ୍ରେଡିଟ୍ ଲିଙ୍କଡ୍ ସରକାରୀ ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ ଜନ ସମର୍ଥ ନାମକ ଏକ ପୋର୍ଟାଲ୍, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଭିଡିଓ "ମାଇରେ'ର ଉନ୍ମୋଚନ ଓ ଭିଡିଓ ଶପଥପାଠ ଓ ପୁନଃ ଉତ୍ସର୍ଗ।

ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଅଭିଯାନ ଯେଉଁଥିରେ ୭୫ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଏହାର ଲୋକ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଫଳତାର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସକୁ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ସବ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଏହାକୁ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ଯାତ୍ରାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିନାହାନ୍ତି ବରଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିଜ ପାଖର ରଖିଛନ୍ତି।ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ୨୦୨୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୨ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ହେଉଛି ଏକ ୭୫ ସପ୍ତାହର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଯେଉଁଥିରେ ୭୫ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯିବ ଓ ଏହାର ସମାପନ ୨୦୨୩ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରେ ହେବ।

विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में आइकोनिक विक आयोजन संबंधी लेख

आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी- आज़ादी की ऊर्जा का अमृत, आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी – नए विचारों का अमृत। नए संकल्पों का अमृत। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी – आत्मनिर्भरता का अमृत और इसीलिए, ये महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। ये महोत्सव, सुराज्य के सपने को पूरा करने का महोत्सव है। ये महोत्सव, वैश्विक शांति का, विकास का महोत्सव है।

- श्री नरेन्द्र मोदी, भारत के प्रधान मंत्री

आईकोनिक सप्ताह के दौरान जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, भुवनेश्वर जोन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गए जिनमें से कुछ झलकियाँ।

मुख्यालय तथा मंडल कार्यालयों में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम का दृश्य

वतन की मोहब्बत में खुद को तपाये बैठे है मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाये बैठे है।

आईकोनिक वीक के दौरान सिने हाउस ग्रुप द्वारा प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक के दृश्य तथा नाटक का आनंद लेते हुए कार्यालय के अधिकारीगण।

जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भुवनेश्वर लेखा-पीक्षा आयुक्तालय द्वारा संचालित नुक्कड़ नाटक के कलाकारों को स्मृति चिह्न प्रदान करते हुए आयुक्त(अपील) श्री अमरिंदर सिंह रंगा तथा कार्यालय के अन्य अधिकारीगण।

दिनांक 09.06.2022 को सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय भुवनेश्वर द्वारा आयोजित संगोष्ठी,
अतिथि वक्ता श्री अशोक कुमार पटनायक, पूर्व प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष (इतिहास), उत्कल विश्वविद्यालय,भुवनेश्वर

सौ सुनार की एक लोहार की

धर्मवीर कुमार
अधीक्षक, झारसुगुड़ा

अच्छे स्कूल से पढ़ा-लिखा 29-30 साल का नौजवान अपने सेवानिवृत (रिटायर्ड) बाप पर चिल्ला रहा था। उसकी नजर में बाप ने उसके लिए अभी तक कुछ नहीं किया था और इस कारण से वह आगे नहीं बढ़ पाया। उसने चिल्लाते हुए कहा- "अगर आप इतने समर्थ नहीं थे तो आपने मुझे इस दुनिया में लाया ही क्यूं?"

बाप ने, जो शांति से जवाब दे रहा था, बड़ी ही मासूमियत से कहा; "मैं ईश्वर की कसम खाके कहता हूँ बेटा, आपके जैसे किसी 'अंसतुष्ट आत्मा' को इस दुनिया में लाने का मेरा कतई ईरादा नहीं था। मैं तो अपनी संतान के रूप में साइना नेहवाल, सचिन तेंदुलकर, मैरी कॉम जैसे किसी सुयोग्य को लाना चाहता था। पता नहीं, आप कैसे आ गए। मुझे तो यह लगता है आप बिन बुलाए मेहमान की तरह आये हैं। फिर भी आपको लगता है कि मैंने आपको जबरदस्ती इस दुनिया में लाया है तो आप इस दुनिया को छोड़कर जा सकते हैं। जहाँ नहीं आने का मन था वहाँ रहना ही क्यूँ। कसम से, मैं आपको नहीं रोकूंगा। रस्सी स्टोर रूम के कोने में रखी हुई है और पंखा तो आपके बेडरूम में है ही, भले ही कुछ और न दे पाया हूँ।"

बेटा कुछ बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकल गया। ❑❑❑

ई-पत्रिका बनाम मुद्रित पत्रिका

श्रीमती नमिता कर
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, मु.आ.का.

संघ की राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और केंद्र सरकार के कार्मिकों को हिंदी में सृजनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने में हिंदी गृह पत्रिकाओं का विशेष महत्व है। भारत सरकार के लगभग सभी मंत्रालयों/उपक्रमों/बैंकों/संस्थानों आदि द्वारा मुख्यालय/क्षेत्रीय स्तर पर पत्रिका का प्रकाशन तिमाही/छमाही/वार्षिक आधार पर हार्ड कापी में किया जाता है।

भारत सरकार की मितव्यतता संबंधी आदेश तथा डिजिटलीकरण की नीति के अनुसरण में हिंदी गृह पत्रिकाओं को सभी के लिए डिजिडल/ई-पत्रिका के रूप में उपलब्ध कराना समय की आवश्यकता है। इससे न सिर्फ हिंदी पत्रिकाओं के पाठकों की संख्या में वृद्धि होगी बल्कि इंटरनेट पर हिंदी की विषयवस्तु भी बढ़ेगी। राजभाषा विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट पर "ई-पत्रिका पुस्तकालय" नामक लिंक/टैब बनाया जा रहा है जिसपर सभी ई-पत्रिकाओं को दर्शाया जाएगा।

एक ई-पत्रिका से अभिप्राय इलेक्ट्रोनिक प्रारूप में एकत्रित दस्तावेजों से है जो इन्टरनेट, सी.डी. रोम, कम्प्यूटर डिस्क पर उपलब्ध होतें हैं। ये एक विशिष्ट लिंक/टैब पर आश्रित दस्तावेज होते हैं। भारत में उपलब्ध ई-पत्रिकाओं में कुछ पत्रिकाओं के नाम अग्रांकित है- इंडिया टुड़े, विजनेस टुड़े, कैम्पेन इंडिया, चंपक, चंदामामा, कांग्रेस संदेश, क्रिकेट टुड़े, डाउन टू अर्थ, फ्रन्टलाइन, आउटलुक बिजनेस, प्लेनेट अर्थ, प्रतियोगिता दर्पण, प्रवासी भारतीय, योग संदेश।

इस आजादी का यही है नारा,पूरे विश्व में भारत बने महान हमारा।

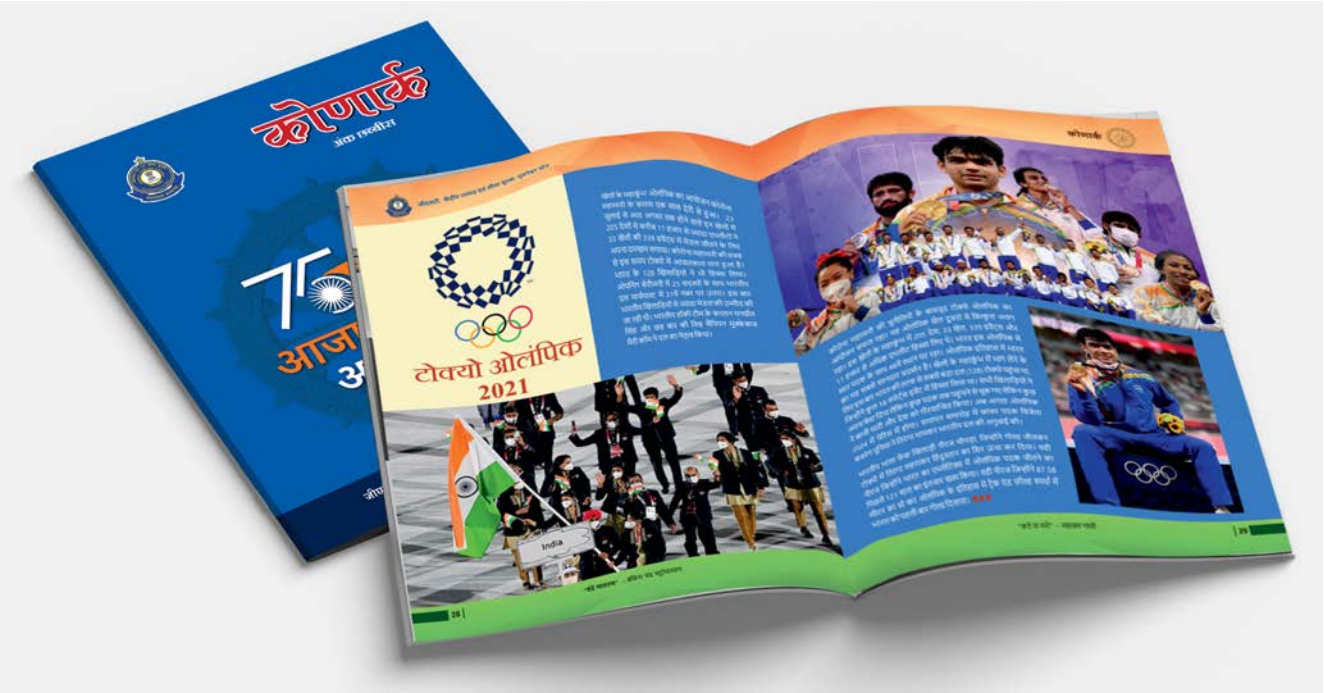

ऑन-लाइन पत्रिका के लाभ

1. यह पत्रिका मुद्रित पत्रिका की तुलना में कम कीमत की होती है।
2. परम्परागत पत्रिका की तुलना में अद्यतन होती है।
3. इसका क्षेत्र विस्तृत होता है।
4. इस पत्रिका द्वारा समस्त अनुभवों को सरलता विशेष तकनीकों के बिना बाँटा जा सकता है।
5. इस पत्रिका की पैंठ प्रत्येक स्थान पर किसी भी समय हो सकती है।
6. डाउनलोड करने के पश्चात् कभी भी, किसी भी समय पढ़ सकते हैं।
7. आकर्षक रंगों में दृश्य माध्यम के रूप में स्पष्ट पठनीय होती है।
8. अन्तः क्रियात्मक एवं उच्च स्तरीय विषय वस्तु का संयोजन होता है।
9. सरलता से ई-मेल, एच.टी.एम.एल. द्वारा मित्रों संबंधियों को भेजी जा सकती हैं।
10. भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया में सम्पूर्ण विश्व से जोड़ने का कार्य करती है।
11. इस पत्रिका से ऑन-लाईन सहभागिता भी बढ़ती है।

ऑनलाईन पत्रिकाओं की सीमाएँ

1. ये पत्रिकाएँ, छपने वाली पत्रिकाओं की तुलना में सरलता से बनने के लिए प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाती है।
2. जो व्यक्ति हाथ में ले कर पत्रिका पढ़ना चाहते है उन्हें इसमें भौतिक स्वरूप का अभाव खलता है।
3. यह पत्रिका का व्यावसायिक पत्रिका की बजाय कुछ व्यक्तियों द्वारा ऑन लाईन प्रकाशन का स्वरूप ले लेती है।
4. इन पत्रिकाओं का प्रचार-प्रसार न होने के कारण लागत-लाभ की स्थिति में अन्तराल होता है।
5. ये पत्रिकाएँ सामाजिक संवेदनशील मुद्दों पर महत्वहीन हो जाती है।

अतः हम कह सकते हैं कि ई-पत्रिका की कुछ सीमाएं हैं परंतु लाभ ज्यादा है। इसी क्रम में राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2020 में लिए गए निर्णय के तहत सभी मंत्रालय,विभाग, बैंक, उपक्रम, संस्थान द्वारा ई-पत्रिका जारी करने के साथ-साथ अपनी आवश्यकतानुसार हार्ड कापी भी मुद्रित कर सकते है। ई-पत्रिका को ई-बुक फार्मेट में जारी किया जा सकता है तथा पाठकों द्वारा इसे डाउनलोड करने के लिए pdf में भी उपलब्ध कराया जा सकता है। कार्यालयों द्वारा अपनी वैबसाइट पर भी ई-पत्रिका को अपलोड किया जा सकता है, जिसके लिए कुछ निर्धारित मानदंड/विशिष्टताएं निर्धारित की गई है। ❑❑❑

सुश्री बंदना विश्वकर्मा, अधीक्षक

ओड़िशा के रोमांचकारी वन्यजीव अभयारण्य

भारत का पूर्वी राज्य ओड़िशा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के अलावा विभिन्न वनस्पतियों और जीवों का घर भी है। ओड़िशा में मौजूद वन्यजीव अभ्यारण्य इस बात को साबित करने का काम करते हैं। यहां के आरक्षित वन क्षेत्र कई खासियतों के लिए जाने जाते हैं। यहां जंगली जीवों से अलग टर्टल सेंचुरी से लेकर पक्षी अभयारण्य भी मौजूद हैं। ओड़िशा में वन्यजीव अभ्यारण्य केवल अद्वितीय नहीं हैं बल्कि ये हर तरह के प्रकृति प्रेमियो को आनंदित और रोमांचित करने का काम करते हैं। यहां के राष्ट्रीय उद्यान जीवों और प्रकृति के अद्त मेल को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। अगर आप चिल्का वन्यजीव अभयारण्य की सैर करें तो आपको झील के नीले पानी में कई प्रवासी पक्षियों के साथ डॉल्फ़िन भी दिखने को मिल जाएंगी। अगर आप भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की सैर करें तो आपको मैंग्रोव के जंगलों में सूर्य की रोशनी में घूमते हुए मगरमच्छ देखने को मिल जाएंगे।

ओड़िशा एक ऐसा राज्य है जहां प्रकृति से अपना खजाना दिल खोलकर लुटाया है। इस लेख के माध्यम से जानिए यहां के चुनिंदा कुछ वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में जो आपको रोमांच का असली आनंद देने का काम करेंगे।

टिकरपड़ा वन्यजीव अभयारण्य

टिकरपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य ओड़िशा के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है और 795.52 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह भुवनेश्वर से लगभग 140 किमी दूर महानदी नदी के तट पर स्थित है। अभयारण्य अपनी घड़ियाल या मगरमच्छ प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। इनके अलावा, पर्यटक बाघ, पैंगोलिन, तेंदुए, चित्तीदार हिरण, हाथी, रीसस, मकाक, सांप, कछुए आदि भी देख सकते हैं। अभयारण्य सतकोसिया चट्टानी संरचना से घिरा हुआ है, जिसे महानदी नदी द्वारा बनाया गया है। यहां स्थित घरवाले अभयारण्य घड़ियाल का प्रजनन स्थल है। इसमें कई तरह के सांप और कछुए भी देखे जा सकते हैं। घड़ियाल आबादी को

संरक्षित करने में मदद करने के लिए यहां एक संरक्षण केंद्र भी है। सतकोसिया चट्टानी संरचना के बाईं ओर टिकरपाड़ा मगरमच्छ अभयारण्य है, जो अपने अद्त जंगल और भरपूर वन्य जीवन के लिए जाना जाता है। यहां विभिन्न साहसिक खेलों जैसे रिवर राफ्टिंग, ट्रेकिंग, फिश एंगलिंग, बोटिंग आदि में भी भाग लिया जा सकता है। टिकरपाड़ा में स्थित घड़ियाल अभयारण्य घड़ियालों का प्रजनन स्थल है जो बाद में महानदी (उनके प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र) में छोड़े जाते हैं।

देब्रिगढ़ वन्यजीव अभयारण्य

ओड़िशा के वन्यजीव अभयारण्यों के भ्रमण की शुरुआत आप यहां के देब्रिगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कर सकते हैं। यह स्थल भारतीय मानचित्र पर ऐतिहासिक महत्व भी रखता है, माना जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता सैनानी सुरेंद्र साई ने इसी जंगल में शरण ली थी। एक बड़े क्षेत्र में फैला यह अभयारण्य कई जीव जन्तुओं को सुरक्षित आश्रय देने का काम करता है, जिनमें आप बाघ, तेंदुआ, जंगली भैंसा, गीदड़, हिरण, खरगोश, बड़ी गिलहरी सहित और भी कई जंगली जानवरों को देख सकते हैं। इन सब के अलावा आप यहां कई स्थानीय और प्रवासी पक्षी प्रजातियों को भी देख सकते हैं। यह अभारण्य चार सिंह वाले दुर्लभ एंटीलोप का घर भी है। यह वन्यजीव अभयारण्य देशी-विदेशी पर्यटकों के मध्य काफी लोकप्रिय है। एक रोमांचक सैर के लिए आप यहां आ सकते हैं।

सुनाबेडा वन्यजीव अभयारण्य

देब्रिगढ़ के अलावा आप यहां एक सुनाबेडा वन्यजीव अभयारण्य की सैर का प्लान बना सकेत हैं। यह एक विशाल अभयारण्य है, जो लगभग 500 वर्ग कि.मी के क्षेत्र में फैला हुआ है। दरअसल यह एक टाइगर रिजर्व है, जहां बाघों की सुरक्षा और उनकी आबादी पर ध्यान दिया जाता है। लगभग छोट-बड़े कई जलप्रपातों और पठारी भूमि के साथ देब्रिगढ़ बाघों के अलावा कई जीव-जन्तुओं को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने का काम करता है। आप यहां से जोंक नदी के खूबसूरत दृश्यों को भी देख सकते हैं। वन्यजीवन को करीब से देखने का यह अच्छा विकल्प है। जंगली जीवों में आप यहां बाघ, तेंदुआ, हिरण, लंगूर, गौर, भालू, भौंकने वाली हिरण आदि को देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहां विभिन्न पक्षी प्रजातियों को देखने का मौका भी प्राप्त कर सकते हैं।

कोट्टागढ़ वन्यजीव अभयारण्य

ओड़िशा के वन्यजीव अभयारण्यों की श्रृंखला में आप कोट्टागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सैर का प्लान बना सकते हैं। यह अभयारण्य अपने हाथियों एंटीलोप और बाघों के लिए जाना जाता है। यह अभयारण्य भारत के अन्य बड़ी सेंचुरी की तरह उतना लोकप्रिय नहीं है, लेकिन अगर आप एक ऑफबीट ट्रैवलर हैं, तो यहां की रोमांचक सैर के लिए आ सकते हैं। यह आरक्षित वन्य क्षेत्र कई स्तनधारी और रेप्टाइल्स जीवों का घर है। आप यहां हाथी, बाघ, नील गाय, जंगली सूअर के साथ अन्य की जीवों को देख सकते हैं। साथ ही आप यहां कई पक्षी प्रजातियों को भी देख सकते हैं।

चिल्का वन्यजीव अभयारण्य

हजारों स्थानीय और प्रवासी पक्षियों का घर, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य राज्य के चुनिंदा सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में गिनी जाती है। यह सेंचुरी ओड़िशा की समुद्री झील पर स्थित है। चिल्का झील और इस अभयारण्य को देखने के लिए वर्षभर यहां पर्यटकों का आवागमन लगा रहता है। यहां स्थानीय के अलावा दूर-दराज से प्रवासी पक्षियों का आगमन भी होता है। आप यहां फ्लेमिंगो, एमिरेट्स, व्हाइट-बिल स्टॉर्क, ईगल, स्पून बिल्स, स्पॉट बिल्ड पेलिकन, हेरन, स्टिल्ट्स, सीगल और किंगफिशर आदि को यहां देख सकते हैं। यहां के अन्य आकर्षण में आप डॉल्फ़िन प्वाइंट पर जाकर डॉल्फ़िन को देख सकते हैं। यहां के जलीय जीवों में आप बड़े केकड़े, झींगा और लोबस्टर आदि को देख सकते हैं।

सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य

राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित सिमलीपाल, भारत के चुनिंदा सबसे खास अभयारण्यों में गिना जाता है। यह सेंचुरी टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में जानी जाती है। इस वन्य क्षेत्र का अपना अलग इतिहास है, माना जाता है कि यह इलाका कभी मयूरभंज के शासकों का शिकारगाह हुआ करता था।

सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य लगभग 2,750 वर्ग कि.मी के क्षेत्र में फैला है, जो विभिन्न वनस्पतियों और जीव जन्तुओं को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने का काम करता है। यहां के जंगली जीवों में आप बाघ, हाथी, तेंदुआ, चीतल, भौंकने वाली हिरण, सांभर, भालू, मगरमच्छ आदि को देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहां कई स्थानीय और प्रवासी पक्षियों को भी देख सकते हैं। एक रोमांचक सैर के लिए आप यहां आ सकते हैं।

भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान

उपरोक्त अभयारण्यों के अलावा आप यहां भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की रोमांचक सैर का प्लान बना सकते हैं। सर्पीली नदियों और मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा यह अभयारण्य ओड़िशा के लोकप्रिय पर्यनट स्थलों में गिना जाता है। यहां मगरमच्छों की एक बड़ी आबादी निवास करती है, जानकारी के अनुसार यहां 1600 से ज्यादा खारे पानी के मगरमच्छ रहते हैं। इसके अलावा आप यहां लंगूर, सांभर, मॉनिटर लिजर्ड आदि जीवों को भी देख सकते हैं। यह अभयारण्य लगभग 672 वर्ग कि.मी के क्षेत्र में फैला हुआ। इसे राष्ट्रीय उद्यान 1988 में बनाया गया था। आप यहां अन्य जीवो में किंग कोबरा, अजगर आदि को भी देख सकते हैं। ❑❑❑

विश्व तंबाकू निषेध दिवस वॉकाथन

मिलकर आजादी का अमृत महोत्सव मनायेंगे,देश को अपने श्रेष्ठ बनायेंगे।

गुरु दिवस, 2022 - चित्रांकन प्रतियोगिता

मेरे देश तुझको नमन है, जीऊं तो जुबां पर नाम हो तेरा, मरूं तो तिरंगा कफन हो मेरा।

टिप्पणी के संदर्भ में प्रयोग होने वाले वाक्य

1. सामान्य/GENERAL

क्रम सं.	हिंदी	अंग्रेजी
1.	देख लिया, धन्यवाद	Seen, thanks
2.	देखकर वापस किया जाता है	Seen and returned
3.	अनुभाग अधिकारी ने देख लिया है	Section Officer has seen
4.	सूचना के लिए प्रस्तुत	submitted for information
5.	आदेश के लिए प्रस्तुत	submitted for order
6.	कृपया पावती भेजें	Please send acknowledgement
7.	विचाराधीन पत्र की प्राप्ति की सूचना नहीं भेजी गई है	Acknowledgment not sent for letter under consideration
8.	जरूरी कार्रवाई कर दी गई है	Necessary action has been taken
9.	उत्तर का मसौदा प्रस्तुत है	Draft reply submitted
10.	कृपया पिछली टिप्पणियाँ देख लें	please see previous notings
11.	आगे कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है	no further action expected
12.	प्रस्ताव अपने आप में स्पष्ट है	The proposal itself is clear
13.	मसौदा तदनुसार संशोधित कर दिया गया है	Accordingly the draft has been modified
14.	संगत आदेशो पर पर्चियाँ लगा दी गई हैं	Slips have been put on the relevant orders
15.	पिछले पृष्ठ पर दिए गए निदेशानुसार मामला फिर से प्रस्तुत किया जाता है	The matter is resubmitted as directed on the previous page

2. सम्मति, कागज आदि मंगाना, स्थिति मालूम करना

1.	कागज-पत्र इसके साथ भेजे जा रहे हैं	Documents are enclosed herewith
2.	इसे आवश्यक कार्रवाई के लिए ..... को भेजा जाए	This may be sent to ..... for necessary action
3.	गृह मंत्रालय से परामर्श किया जाए	Home Ministry to be consulted
4.	अपेक्षित कागज-पत्र नीचे रखें	Required papers to be placed below
5.	वित्त मंत्रालय ने जो कागज माँगे हैं वे इस फाइल के साथ दिए गए हैं, काम हो जाने पर वापस लौटा दिया जाए	The papers asked for by the Ministry of Finance are given with this file, to be returned when the work is done.
6.	मुख्य मिसिल पर निर्णय होने तक इसे रोके रखें	Hold until decision on main file
7.	यह मिसिल टिप्पणी के लिए गृह मंत्रालय को भेज दी जाए	This file may be submitted to Ministry of Home Affairs for comments
8.	मुख्य मिसिल वापस आने की प्रतीक्षा की जाए	Return of main file may be awaited
9.	मामला अभी वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है	The matter is under consideration with Ministry of Finance
10.	प्रशासन अनुभाग कृपया देख लें	Administrative section please see

3. सुझाव संबंधी टिप्पणियाँ

1.	यह प्रस्ताव नियमानुसार है	The proposal is as per rule
2.	प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाए	Administrative approval may be accorded
3.	आवेदन अस्वीकार कर दिया जाए	Application may be rejected
4.	मांगी गई आकस्मिक छुट्टी दे दी जाए	Casual Leave may be granted
5.	प्रस्ताव अपने आप में स्पष्ट है, इसे मान लिया जाए	The proposal itself is clear, let it be accepted
6.	..... माह में हुई बैठक के कार्यवृत्त का मसौदा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है	The draft of the minutes of the meeting held in the month of ..... is submitted for approval
7.	इसकी मंजूरी देने के लिए आयुक्त महोदय सक्षम हैं	The Commissioner is competent to approve

4. संक्षिप्त आदेश संबंधी टिप्पणियाँ

1.	कृपया चर्चा करें	Please discuss
2.	यथा प्रस्तावित कार्रवाई की जाए	As proposed, take action
3.	कृपया स्वतःपूर्ण टिप्पणी प्रस्तुत करें	Please submit a self-contained note/comment
4.	कृपया सभी को दिखाकर फाइल कर दें	Please show everyone and file
5.	तुरंत अनुस्मारक भेजें	Send reminder immediately
6.	मैं सहमत हूँ	I agree
7.	यथा संशोधित पत्र भेज दें	Send the letter as amended
8.	प्रारूप पर सहमति दी जाती है	Agreed on draft
9.	अनुमोदित / स्वीकृत	Approved / sanctioned
10.	जाँच पूरी की जाए और रिपोर्ट जल्दी प्रस्तुत की जाए	The investigation should be completed and submit the report expeditiously

5. वित्तीय और प्रशासनिक टिप्पणियाँ

1.	वित्त मंत्रालय कृपया सहमति के लिए देख ले	Ministry of Finance please see for consent
2.	इस व्यय के लिए चालू वित्तीय वर्ष के बजट में व्यवस्था है	There is a provision for this expenditure in the budget of the current financial year.
3.	इस आदेश को पीछे की तारीख से लागू नहीं किया जा सकता	This order cannot be implemented retrospectively
4.	वित्त मंत्रालय से परामर्श करके यह निश्चय किया गया है कि...	In consultation with the Ministry of Finance, it has been decided that...
5.	अभ्यावेदन उचित माध्यम से नहीं मिला है। हमें इस पर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं	The representation has not been received through proper channel. we don't need to take any action on this
6.	अनुमति देना लोकहित के प्रतिकूल होगा	Granting permission would be contrary to public interest
7.	इस अंतिम बिल पर लेखा शीर्ष नहीं लिखा गया है	Head of Account is not written on this last bill
8.	बिल निम्नलिखित आपत्तियों के साथ वापस किया जाता है	The bill is returned with the following objections
9.	बिल का सत्यापन कर लिया गया है। यह ठीक है। भुगतान के लिए पारित किया जाए।	The bill has been verified. This is correct. May be passed for payment.
10.	यह प्रमाणित किया जाता है कि बिल की रकम सही कर्मचारी को दी गई है।	It is certified that the bill amount has been paid to the correct employee.

जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, भुवनेश्वर जोन के मुख्यालय कार्यालय तथा मंडल कार्यालयों में ऑनलाइन माध्यम से दिनां 01.09.2021 से 14.09.2021 के दौरान आयोजित हिंदी प्रतियोगिता के विजेताओं की सूची

1. हिंदी टंकण प्रतियोगिता

क्रम सं.	हिंदी भाषी वर्ग	हिंदीतर भाषी वर्ग	स्थान	पुरस्कार राशि
1	कुमार अभिजीत, अधीक्षक, जीएसटी मंडल कार्यालय, रायगडा	सत्य नारायण पात्र, कर सहायक, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय	प्रथम	रु.2000/-
2	रोहित कुमार, आशुलिपिक ग्रेड II, लेखा परीक्षा आयुक्तालय	पीयूष मोहंती, अधीक्षक, लेखा परीक्षा आयुक्तालय	द्वितीय	रु.1500/-
3	रोहित पाल, कर सहायक, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय	सुदीप्तो कुमार राय, अधीक्षक, जीएसटी मंडल कार्यालय, भुवनेश्वर	तृतीय	रु.1000/-

2. हिंदी टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता

क्रम सं.	हिंदी भाषी वर्ग	हिंदीतर भाषी वर्ग	स्थान	पुरस्कार राशि
1	मनोज प्रधान, निरीक्षक, लेखा परीक्षा आयुक्तालय	दिलीप कुमार महापात्र, अधीक्षक, सीमा शुल्क (नि.) आयुक्तालय	प्रथम	रु.2000/-
2	कमल प्रकाश परेवा, आशुलिपिक ग्रेड II, लेखा परीक्षा आयुक्तालय	पीयूष मोहंती , अधीक्षक, लेखा परीक्षा आयुक्तालय	द्वितीय	रु.1500/-
3	सुश्री पिंकी कुमारी, कर सहायक, जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय	सत्य नारायण पात्र, कर सहायक, सीमा शुल्क (नि.) आयुक्तालय	तृतीय	रु.1000/-

3. हिंदी ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता

क्रम सं.	हिंदी भाषी वर्ग	हिंदीतर भाषी वर्ग	स्थान	पुरस्कार राशि
1	रोहित कुमार, आशुलिपिक ग्रेड II, लेखा परीक्षा आयुक्तालय	सौरभ दास, अधीक्षक लेखा परीक्षा आयुक्तालय	प्रथम	रु.2000/-
2	कमल प्रकाश परेवा, आशुलिपिक ग्रेड II, लेखा परीक्षा आयुक्तालय	सुनील कुमार नाग, कर सहायक, मुख्य आयुक्त कार्यालय	द्वितीय	रु.1500/-
3	मणिकांत, अधीक्षक, लेखा परीक्षा आयुक्तालय	पीयूष मोहंती , अधीक्षक, लेखा परीक्षा आयुक्तालय	तृतीय	रु.1000/-

4. अनुवाद प्रतियोगिता

क्रम सं.	हिंदी भाषी वर्ग	हिंदीतर भाषी वर्ग	स्थान	पुरस्कार राशि
1	रंजीत कुमार , अधीक्षक, मुख्य आयुक्त कार्यालय	सत्य नारायण पात्र, कर सहायक, सीमा शुल्क (नि.) आयुक्तालय	प्रथम	रु.2000/-
2	श्रीमती रचना शमि, कर सहायक, भुवनेश्वर -।। मंडल	पीयूष मोहंती , अधीक्षक, लेखा परीक्षा आयुक्तालय	द्वितीय	रु.1500/-
3	(i) मो. शम्स रजा , अधीक्षक, रायगड़ा मंडल कार्यालय	श्री दिलीप कुमार महापात्र, अधीक्षक, सीमा शुल्क(नि.) आयुक्तालय	तृतीय	रु.1000/-
	(ii) सुश्री गुलाब पाल बा, अधीक्षक, सीमा शुल्क (नि.) आयुक्तालय			

5. राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता

क्रम सं.	सामान्य वर्ग	स्थान	पुरस्कार राशि
1	रोहित पाल, कर सहायक, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय	प्रथम	रु.2000/-
2	सत्य नारायण पात्र, कर सहायक, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय	द्वितीय	रु.1500/-
3	शिब चरण प्रधान, प्रशासनिक अधिकारी, अपील आयुक्तालय, भुवनेश्वर	तृतीय	रु.1000/-

सोनाक्षी सिंह, कक्षा - VI, पुत्री : रंजीत कुमार (अधीक्षक)

हिंदी दिवस, 14 सितंबर, 2021 को तत्कालीन मुख्य आयुक्त श्री आर. मंगा बाबू तथा अन्य वरीय अधिकारियों की उपस्थिति में विभागीय हिंदी ई-पत्रिका कोणार्क का लोकार्पण किया गया तथा तत्पश्चात हिंदी पखवाड़ा, 2021 के दौरान पत्रिका की मुद्रित प्रति का भी विमोचन किया गया ।

जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, भुवनेश्वर जोन के मुख्यालय कार्यालय तथा मंडल कार्यालयों में ऑनलाइन माध्यम से हिंदी पखवाड़ा, 2021 के दौरान आयोजित हिंदी प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करते हुए तत्कालीन मुख्य आयुक्त श्री आर.मंगा बाबू।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), भुवनेश्वर, ओड़िशा

अध्यक्ष कार्यालय- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
ओड़िशा, भुवनेश्वर

राजभाषा में श्रेष्ठ कार्य हेतु प्रशंसा पत्र

नराकास (का.) भुवनेश्वर के तत्वाधान में वर्ष 2021-22 के दौरान राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रधान आयुक्त का कार्यालय, जीएसटी एवम केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भुवनेश्वर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

एतदर्थ यह प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक : 27.01.2022

(दिनमणि मल्लिक)
भा.ले.प. एवं ले.वि.
सचिव-सह-वरिष्ठ उपमहालेखाकार

(वी.एम.वी.नवल किशोर)
भा.ले.प. एवं ले.वि.
अध्यक्ष-सह-महालेखाकार

नराकास(का.), भुवनेश्वर द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रधान आयुक्त कार्यालय, जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भुवनेश्वर को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।

नराकास शील्ड के साथ तत्कालीन मुख्य आयुक्त श्री आर. मंगा बाबू एवं श्री देव प्रकाश, सहायक निदेशक, (राजभाषा)

नराकास(का.), भुवनेश्वर के अध्यक्ष से शील्ड प्राप्त करते हुए श्री देव प्रकाश, सहायक निदेशक (रा.भा.)

नराकास शील्ड के साथ तत्कालीन प्रधान आयुक्त श्री बिजय कुमार कर एवं कार्यालय के अधिकारीगण।

भारत सरकार / GOVT OF INDIA

राजभाषा कार्यान्वयन कैलेंडर

राजभाषा हिंदी और हमारा दायित्व

संविधान सभा में पारित 14 सितम्बर 1949

भारत के संविधान सभा ने 14 सितम्बर 1949 को हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया ।

राजभाषा नीति

संविधान के अनुच्छेद 343(1) में देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को केंद्र /संघ सरकार की राजभाषा घोषित किया गया है। अंत: राजभाषा हिंदी में कार्य करना हमारा संवैधानिक दायित्व है।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3)

इस धारा के अंतर्गत आने वाले निम्न कागजातों / दस्तावेजों को हिंदी / द्विभाषी रूप में (हिंदी व अंग्रेजी) दोनों में ही जारी किये जाए- सामान्य आदेश (General Orders), अधिसूचानएं (Notifications), प्रशासनिक प्रतिवेदन (Administrative Reports), नियम(Rules), प्रेस विज्ञप्ति (Press Comminiques), संविदा (Contracts), करार (Agreements), निविदा सूचना (Tender Notice) निविदा फार्म (Form of Tenders), संकल्प (Resolution), नियम (Rules), परमिट (Permits), लाइसेंस (Licences) आदि।

राजभाषा नियम-1976

इस कार्यालय से, जो कि 'ग' क्षेत्र में स्थित है, 'क' (हिंदी भाषी प्रदेश व संघ राज्य क्षेत्र अंडमान-निकोबार द्वीप समूह , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं 'ख' (हिंदी भाषी प्रदेश गुजरात, महाराष्ट्र व पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दमन एवं दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र) तथा 'ग' ('क' एवं 'ख' क्षेत्र में शामिल नहीं किये गए अन्य सभी हिंदीत्तर भाषी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) क्षेत्र में स्थित सभी केंद्रीय कार्यालयों को पत्र, फैक्स, आरेख, ईमेल (मूल पत्राचार का 55 प्रतिशत) पत्रादि हिंदी में भेजा जाना अपेक्षित है ।

राजभाषा अनुपालन के मुख्य बिंदु

- सभी प्रकार के पत्र-व्यवहार में सरल, सहज, आम बोल-चाल की हिंदी का इस्तेमाल करें ।
- हिंदी में प्राप्त पत्र, आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का जवाब अनिवार्यत: हिंदी में ही दिए जाए ।
- सरकारी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हिंदी में करें। अंग्रेजी पत्रों का जवाब यथासंभव हिंदी में दें ।
- सभी दस्तावेज, नाम पट्ट, नाम बोर्ड, रबर स्टाम्प, लेटर हेड, आमंत्रण पत्र, कैलेंडर, नोटिस बोर्ड, बैनर, एम्ब्लेम, फॉर्मेट, प्रपत्र आदि हिंदी/द्विभाषी होने चाहिए ।
- हिंदी-अंग्रेजी लिखते समय हिंदी ऊपर तथा अंग्रेजी नीचे/बाद में होना चाहिए ।
- कोड मैन्युअल, स्थाई आदेश, कार्य अनुदेश, कार्य प्रक्रिया, अनुदेश आदि हिंदी/द्विभाषी होने चाहिए ।
- कुल विज्ञापनों पर खर्च का 50 प्रतिशत अनिवार्यत: हिंदी के विज्ञापनों पर किया जाए।
- सभी प्रकार के पत्र, टिप्पण (नोटिंग), प्रारूप/मसौदा (ड्राफ्ट) हिंदी में तैयार करें।
- आंकड़े लिखते समय भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय स्वरुप जैसे की 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, का ही प्रयोग किया जाएगा।
- हिंदी में प्रवीणता (Proficiency) एवं कार्य साधक ज्ञान (Working Knowledge) प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी अपना कामकाज हिंदी में करें।
- कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने हेतु यूनिकोड फोन्ट मंगल (हिंदी राइटर) का ही इस्तेमाल करें।
- संघ की राजभाषा नीति के अनुसार राजभाषा संबंधी अनुदेशों का पालन दृढ़तापूर्वक किया जाए।

प्रोत्साहन योजनाएं

आप पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं यदि

- अंग्रेजी के अलावा हिंदी में भी टाइपिंग करते हैं ।
- सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करते हैं ।
- हिंदी में डिक्टेशन देते हैं ।